# बजट 2013-14

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | अकेली महिलाओं और विधवाओं सहित महिलाएं समाज के सर्वाधिक दुर्बल वर्गों से संबंधित होती हैं, उन्हें पूरी गरिमा और आत्म सम्मान के साथ जीने में सक्षम होना होगा। युवा महिलाएं हर जगह खासकर, कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय से इन चिंताओं के निराकरण के लिए स्कीमें तैयार करने को कहा गया है। इस संबंध में कार्य शुरू करने के लिए, मैं उस मंत्रालय को 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>महिला और बाल विकास मंत्रालय] | अकेली महिलाओं और विधवाओं के लाभ के लिए 200 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन पर अंतरमंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 2. | 21 | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यकों हेतु गैर-सरकारी संगठनों के लिए निधियां जुटाने तथा शैक्षिक स्कीमों के क्रियान्वयन का मुख्य माध्यम है। इसकी समग्र निधि 750 करोड़ रुपए है। 12वीं योजना अवधि के दौरान इसे बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए करने के उद्देश्य से, मैं इस समग्र निधि में 160 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह प्रतिष्ठान अपने उद्देश्यों में स्वास्थ्य सहायता को भी जोड़ना चाहता है। मैंने, यह मान लिया है कि इस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित या निधिपोषित शैक्षिक संस्थाओं में किसी परिचारक या रेजीडेंट डाक्टर जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसकी शुरूआत की जा सकती है। मैं, इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, 100 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय] | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) की कोरपस निधि को 750 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1250 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 3. | 22 | **निःशक्त व्यक्ति**<br>सरकार निःशक्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। चालू वर्ष के 75 करोड़ रुपए की तुलना में, 2013-14 में एडीआईपी स्कीम के लिए निःशक्त-जन कार्य विभाग को, मैं, 110 करोड़ रुपए की धनराशि के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>निःशक्तजन कार्य विभाग] | अंतरमंत्रालयी परामर्श पूर्ण हो गए हैं । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 4. | 24 | मैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 37,330 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें से, एक नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रस्तावित शहरी स्वास्थ्य मिशन सम्मिलित हैं, को 21,239 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह संशोधित अनुमान से 24.3 प्रतिशत अधिक है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय] | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,239 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 5. | 25 | मैं, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के लिए 4,727 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय] | चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अंतर्गत, 4727 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 6. | 26 | राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम 21 राज्यों के 100 चुनिंदा जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। समर्पित जराचिकित्सा विभागों के विकास के लिए आठ क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्र निधिपोषित किए जा रहे हैं। मैं, इस कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय] | राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रम के अंतर्गत, 150 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 7. | 27 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। मैं, आयुष विभाग के लिए 1,069 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय] | व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के लिए, अंतिम ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 8. | 28 | एम्स जैसे छह संस्थाओं ने सितंबर, 2012 से आरंभ हुए शैक्षिक सत्र में पहले बैच के छात्रों को दाखिला दे दिया है। इन कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल 2013-14 में काम-काज शुरू कर देंगे। मैं, इस संस्थाओं के लिए 1,650 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय] | एम्स जैसे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और राज्य सरकार के अस्पतालों उन्नयन के लिए, बजट अनुमान अवस्था पर 1975 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। एम्स जैसे छह नए संस्थानों के जनवरी, 2014 में काम शुरू करने की संभावना है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 9. | 33 | नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण ने अब गति पकड़ी है। सरकार शैक्षिक उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>विदेश मंत्रालय विभाग] | मंत्रिमंडल ने नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, अगस्त, 2013 में अनुमोदित किया । तत्पश्चात्, यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया । स्थायी समिति ने इस पर 4 और 22 अक्तूबर, 2013 को हुई अपनी दो बैठकों में विचार किया है। स्थायी समिति की अनुशंसाओं के अनुसार इस विधेयक में संशोधन किया जा रहा है ताकि इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 10. | 35 | प्रचुर खाद्यान्नों वाले देश में मातृत्व और बाल-कुपोषण बड़े शर्म की बात है। इसे हमें दूर करना है। पिछले वर्ष घोषित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम 2013-14 के दौरान 100 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा और वर्ष 2013-14 के बाद वाले वर्ष में इस कार्यक्रम का विस्तार 200 जिलों में किया जाएगा। 2013-14 में इस कार्यक्रम हेतु, मैं, 300 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>व्यय विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय] | मंत्रिमंडल ने बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम 24.09.2013 को अनुमोदित किया है। इसके कार्यान्वयन के लिए, प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 11. | 37 | अभी भी देश में ग्रामीण इलाकों में 2,000 आर्सेनिक और 1,200 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां हैं। मैं, जल शोधक संयंत्र स्थापित करने के लिए, 1,400 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>पेयजल स्वच्छता मंत्रालय] | व्यय वित्त समिति ने यह प्रस्ताव 07.01.2014 को अनुमोदित किया है। इसके लिए अब, मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 12. | 39 | अनेक राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्यों को ज्यादातर हासिल किया जा चुका है। स्वभावतः ये राज्य कुछ अधिक करना चाहते हैं। अतः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II को तैयार करने और नए कार्यक्रमों को निधियों का एक भाग आबंटित करने का प्रस्ताव है जिससे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा होगा। ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II के ब्यौरे की घोषणा यथासमय की जाएगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय] | मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II 01.05.2013 को अनुमोदित की है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देकर उन्हें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 13. | 40 | **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**<br>जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 12वीं योजना में जारी रखा जा रहा है। 2009 से | केंद्रीय स्वीकृति और मॉनीटरिंग समिति (सीएसएमसी) ने अब तक, 4800 करोड़ रुपये की कीमत वाली 9532 बसों के खरीद |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | 2012 के दौरान 14,000 स्वीकृत बसों ने शहरी परिवहन में बड़ी भूमिका निभायी है। चालू वर्ष में, मैं 7,383 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में, इस मिशन के लिए 14,873 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें से महत्वपूर्ण भाग का उपयोग, विशेषकर पर्वतीय राज्यों द्वारा 10,000 बसों की खरीद में किया जाएगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>शहरी विकास मंत्रालय] | की स्वीकृति दी है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 14. | 43 | **कृषि ऋण**<br>कृषि ऋण कृषि उत्पादन की प्रमुख शक्ति है। हम 2012-13 के लिए निर्धारित 5,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को बढ़ाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, मैं इस लक्ष्य को बढ़ाकर 7,00,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग] | नाबार्ड द्वारा एजेंसीवार/राज्यवार लक्ष्य भेज दिए गए हैं । बैंकों ने नवम्बर, 2013 तक 3,87,048 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 15. | 44 | अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए ब्याज माफी स्कीम जारी रहेगी और जो किसान समय पर इन ऋणों को अदा करेंगे उन्हें प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किए जाएंगे। अभी तक यह स्कीम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू है। मेरा प्रस्ताव है कि संबद्ध शाखा के अपने सेवा क्षेत्र में दिए गए ऋणों के संबंध में इस स्कीम के फायदे निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए फसल ऋणों के लिए भी दिए जाएं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग] | मंत्रिमंडल ने अल्पावधिक फसल ऋण की ब्याज सरकारी आर्थिक सहायता योजना के लिए अनुमोदन 16.08.2013 को दिया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 16. | 45 | **हरित क्रांति**<br>पूर्वी भारत में हरित क्रांति ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल ने चावल उत्पादन में अपना योगदान बढ़ाया है। मैं, 2013-14 में 1,000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ पूर्वी भारतीय राज्यों को यह सहायता जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय] | राज्यवार आबंटन को अंतिम रूप देकर भेज दिया गया है । अब तक, 599.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 17. | 46 | हरित क्रांति के मूल राज्य उपज में ठहराव और जल संसाधनों के अति दोहन की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका जवाब फसल विविधता में है। मैं, फसल विविधता कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कार्यक्रम तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा तथा फसल विकल्पों के चयन में किसानों की मदद करेगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, व्यय विभाग] | इस योजना के दिशा-निर्देशों को तैयार करके उनका प्रचार-प्रसार किया गया है। राज्यवार आबंटन को अंतिम रूप देकर भेज दिया गया है। अब तक, पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश को 224.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 18. | 47 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि में उच्च निवेश जुटाने के लिए तैयार की गई है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का आशय फसल अन्तराल को पूरा करना है। मैं, इन दोनों कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 9,954 करोड़ रुपए तथा 2,250 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय] | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए राज्यवार आबंटन को अंतिम रूप दिया गया और 6410.82 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के लिए कार्य योजनाएं भी तैयार की गईं और 1711.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 19. | 48 | छोटे और सीमांत किसान हर कहीं, खासकर सूखाग्रस्त तथा पर्यावरणीय तनावग्रस्त क्षेत्रों में बहुत असुरक्षित हैं। इनमें से ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों तथा वामपंथी अतिवाद द्वारा प्रभावित जिलों में आते हैं। भूमि तथा जल उपयोग की उत्पादकता में सुधार के लिए जलसंभर प्रबंधन एक महत्वपूर्ण साधन है। एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रमों के लिए, मैं 2012-13 (ब.अ.) में 3,050 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,387 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>भूमि संसाधन मंत्रालय] | एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रमों के लिए वर्द्धित बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 20. | 49 | प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव है कि फसल की नई किस्में जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होंगी जैसे लौह-युक्त बाजरा, प्रोटीन-युक्त मक्का, जिंक-युक्त गेहूँ की स्कीम शुरू करने के लिए न्यूट्री कृषि पर एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रायोगिक योजना के आरंभ के लिए, मैं 200 करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। कृषि मंत्रालय इस बारे में एक स्कीम तैयार करेगा और मुझे उम्मीद है कि | अधिक पोषक तत्वों वाली नई फसल किस्मों की शुरुआत करने की योजना के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया और 96.02 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | कृषि कारोबारी तथा किसान कुपोषण प्रभावित जिलों में इन प्रयोगों के लिए एक होंगे।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय,कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्रालय] | |
| 21. | 50 | पौध संरक्षण मामलों के निवारण के लिए रायपुर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बायोटिक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान स्थापित किया जाएगा। भारतीय कृषि बायो तकनीकी संस्थान रांची, झारखण्ड में स्थापित किया जाएगा और कृषि-बायो तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय,कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्रालय] | रायपुर में राष्ट्रीय बायोटिक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान की आधारशिला रखी गई। रांची में भारतीय कृषि बायो-तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए भूमि की तलाश कर ली गई है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 22. | 51 | नारियल बागानों के पुनर्रोपण तथा नवीकरण की एक प्रायोगिक स्कीम ने केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के कुछ जिलों में बेहद उत्साहजनक नतीजे दर्शाए हैं। मैं इस स्कीम को पूरे केरल राज्य में विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ और इसके लिए वर्ष 2013-14 में 75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।.<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कृषि और सहकारिता मंत्रालय] | यह योजना पूरे केरल राज्य के लिए कार्यान्वित हो गई है और 50 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 23. | 52 | **किसान उत्पादक संगठन**<br>कृषि उत्पादक कंपनियों (एफ.पी.सी) सहित कृषि उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) कृषि उत्पादों और बाजार से सीधे जुड़े किसानों के समाकलक समूह के रूप में सामने आए हैं। इनकी सहायता के लिए, मैं अधिकतम 10 लाख रुपए का समान इक्विटी अनुदान प्रदान करता हूँ जिससे कि ये संगठन वित्तीय संस्थाओं से कार्यक्षम पूंजी जुटाने में सक्षम होंगे। इस प्रयोजन के लिए मैं, 50 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, शुरूआत में 100 करोड़ रुपए की निधि के साथ लघु कृषक कृषि कारोबारी निगम में एक जमा गारंटी फंड तैयार किया गया है। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ कि एपीएमसी अधिनियम में आवश्यक | व्यय वित्त समिति ने, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, किसान उत्पादक कंपनियों को सम्मिलित करने के लिए 250 करोड़ रुपये के परिव्यय से इक्विटी अनुदान निधि और क्रेडिट गारंटी निधि योजना के कार्यान्वयन की 11.10.2013 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की । 150 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान अर्थात् इक्विटी अनुदान निधि के रूप में 50 करोड़ रुपये और क्रेडिट गारंटी निधि के लिए 100 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | सुधारों से तथा अन्य प्रकार से इन एफपीओ की सहायता करें।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कृषि और सहकारिता विभाग] | |
| 24. | 53 | **राष्ट्रीय पशु मिशन**<br>निवेश जुटाने तथा स्थानीय कृषि-प्रास्थितिकी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2013-14 में राष्ट्रीय पशु मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के लिए मैं, 307 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ। दाना-चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसमें एक उप मिशन भी होगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग] | आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले टिप्पण को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे परिचालित किया जा रहा है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 25. | 54 | **खाद्य सुरक्षा**<br>खाद्य सुरक्षा मनुष्य का शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसा ही मूलभूत अधिकार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का एक आश्वासन है। मुझे उम्मीद है कि संसद इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित करेगी। माननीय सदस्यो, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अधिनियम के अंतर्गत संभावित वृद्धिपरक लागत के लिए खाद्य सब्सिडी हेतु सामान्य प्रावधान से अलग, मैंने 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय,व्यय विभाग] | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को 10.09.2013 को अधिसूचित किया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 26. | 55 | **IV. निवेश अवसंरचना तथा उद्योग**<br>अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निवेश दर से जुड़ी हुई है। विकास इंजन को शुरू करने वाली चाबी घरेलू तथा विदेशी निवेशकों से ज्यादा से ज्यादा निवेश जुटाने में है। निवेश एक भरोसे की चीज है। अनुचित विनियामक भार या कर कानूनों के जंजाल के डर के साथ-साथ निवेशकों के मन में किसी प्रकार के अविश्वास या संशय दूर करने के लिए, हम अपनी नीतियों के प्रचार-प्रसार को सुधारेंगे। "भारत में वकरोबार करना" आसान, मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी दिखना चाहिए।.<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,कारपोरेट कार्य मंत्रालय] | विनियामक ढांचे का अध्ययन करने के लिए, श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट आम जनता, हितधारकों, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के अभिमत प्राप्त करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट पर डाली गई है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा ई-बिज प्लेटफार्म 20.01.2014 को शुरू किए जाने की उम्मीद है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 27. | 56 | हालांकि, प्रत्येक क्षेत्र में नए निवेश की जरूरत है, लेकिन निवेश की सर्वाधिक आवश्यकता अवसंरचना क्षेत्र में है। 12वीं योजना में अवसंरचना क्षेत्र में 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर या 55,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। योजना में यह संकल्पित है कि इस निवेश की 47 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र से होगी। इसके अलावा, निवेश के लिए निधियां जुटाने हेतु, हमें नई तथा नवाचारी लिखतों की जरूरत होगी। अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय अपना रही है या अपनाना चाहती है: | |
| | | • अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन निधियों से संसाधन जुटाए जाएंगे और आरंभिक वित्तपोषण के जरिए ऋण वृद्धि तथा अन्य नवाचारी उपायों से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए निम्न लागत वाले दीर्घावधिक ऋण सुविधा जुटायी जा सकेगी। मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि अब तक सेबी में चार आई डी एफ को पंजीकृत कर लिया गया है और इनमें से दो ने फरवरी, 2013 से अपना कार्य शुरू कर दिया है। | निवेश माहौल बढ़ाने के लिए, अवसंरचना ऋण निधियों से होने वाली आय को आयकर से छूट दे दी गई है। अब तक, दो आईडीएफ-एनबीएफसी और चार आईडीएफ-एमएफ सृजित किए गए हैं। चार और इस प्रकार की सूची में हैं।<br>आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने "अवसंरचना ऋण निधियों के कार्यान्वयन - कतिपय अड़चनों को हटाना" संबंधी प्रस्ताव भी 24.09.2013 को अनुमोदित कर दिया है।. |
| | | • एशियाई विकास बैंक की सहभागिता में भारतीय अवसंरचना वित्त निगम लि. (आईआईएफसीएल) ने बांड मार्केट में दीर्घावधिक निधियों के दोहन हेतु शीर्ष पर पहुँचने की इच्छा रखने वाली अवसंरचना कंपनियों को ऋण वृद्धि प्रदान करेगा। सड़क परियोजना के लिए इस माह के आरंभ में ही संव्यवहार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बाद में भी ऐसे संव्यवहार होते रहेंगे। | प्रथम प्रायोगिक लेनदेन के संबंध में भारतीय अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड का गारंटी दस्तावेज निष्पादित किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने 7618 मिलियन रुपये तक की राशि के लिए, सरकारी काउंटर गारंटी के बगैर, आंशिक ऋण गारंटियां जारी करने के लिए गारंटी सुविधा का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक ने लगभग 1500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बांड निर्गम वाले 4 प्रायोगिक लेनदेनों में से 3 में भाग लेने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है। भारतीय अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड लगभग 2000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बांड निर्गम आकार वाली 3-4 और अवसंरचना परियोजनाओं पर विचार-विमर्श कर रहा है।. |
| | | • पिछले दो वर्षों में कई संस्थाओं को कर-मुक्त बांडों के निर्गम की अनुमति दी गई है। इन्होंने 2011-12 में 30,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और आशा है कि 2012-13 में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। मैं 2013-14 में कुछ संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए की कुल राशि तक बाजार में केवल धन उगाही की क्षमता और जरूरत के आधार पर कर-मुक्त बांड जारी करने की अनुमति का प्रस्ताव रखता हूँ। | 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार, 30073.66 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है। |
| | | • बहु-पक्षीय विकास बैंक क्षेत्रीय सम्पर्क बढ़ाने के प्रयासों में सहायता के लिए उत्सुक हैं। ''लुक ईस्ट'' नीति तथा पूर्वोत्तर राज्यों के हित को जोड़ते हुए, मैं पूर्वोत्तर | पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का विकास करके और 'लुक ईस्ट' नीति के भाग के रूप में म्यांमार को भी जोड़ते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एशियाई |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | राज्यों में सड़कों के निर्माण और उन्हें म्यांमार से जोड़ने में एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से सहायता लेने का प्रस्ताव करता हूँ। | विकास बैंक से सहायता प्राप्त 500 मिलियन डालर की परियोजना - एसएएसईसी सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। आर्थिक कार्य विभाग ने एशियाई विकास बैंक से 500 मिलियन डालर की सहायता का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया है। मिजोरम राज्य सड़क परियोजना-II के प्रस्ताव को अप्रैल, 2013 में विश्व बैंक के समक्ष रखा गया था। बाद में, राज्य सरकार के अनुरोध पर, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा परियोजना स्ट्रेचेज की फिर से जांच की गई और 237 मिलियन अमरीकी डालर के 100 प्रतिशत आईडीए निधियन के लिए संशोधित प्रस्ताव 27.9.2013 को विश्व बैंक के समक्ष रखा गया है। |
| | | • नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) का संचालन करता है। आरआईडीएफ ने अब तक 18 ट्रांशों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। 2013-14 में, मैं आरआईडीएफ-XIX की समग्र निधियन को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ। | ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि-XIX को 20,000 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है जो नाबार्ड द्वारा संचालित की जाएगी।. |
| | | • हालांकि पहले यह घोषणा की गई थी कि भण्डागार सुविधाओं के निर्माण के लिए नाबार्ड में उपलब्ध निधियों को कई कारणों से पूरा नहीं किया जाएगा। सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि इन सभी मामलों को सुलझा लिया गया है और भण्डागारों, गोदामों, साइलो तथा निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए बनाए गए शीत गृह इकाइयों के निर्माण हेतु आरआईडीएफ की एकल विंडो के अंतर्गत नाबार्ड को 5,000 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करायी जाएगी। यह विंडो राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों द्वारा गोदामों के निर्माण को भी वित्तपोषित करेगी, जिससे किसान अपने उत्पादों का भण्डारण कर सकेंगे।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग,आर्थिक कार्य विभाग] | भारतीय रिजर्व बैंक ने भांडागार अवसंरचना निधि के लिए 14.06.2013 को 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 28. | 57 | **सड़क निर्माण**<br>सड़क निर्माण क्षेत्र परिपक्वता के एक स्तर पर पहुँच गया है किन्तु यह वित्तीय दबावों, बढ़े हुए निर्माण जोखिम तथा संविदा प्रबंधन मामलों, जिन्हें स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा ही बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है, के साथ कई अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रहा है। इसलिए सड़क क्षेत्र के लिए सरकार ने एक विनियामक प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। सड़क परियोजनाओं की अड़चनों को दूर कर दिया गया है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, | विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल टिप्पणी का मसौदा और विधेयक का मसौदा शीघ्र परिचालित किए जाएंगे। अब तक, 1203.647 कि.मी. की कुल लम्बाई वाली 13 परियोजनाओं को दिया जा चुका है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 3,000 कि.मी. की इन सड़क परियोजनाओं को 2013-14 की पहली छमाही में अधिनिर्णीत कर दिया जाएगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय] | |
| 29. | 58 | **निवेश सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति**<br>औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की बहाली एक अहम चुनौती है। विनियामक अड़चनों को सुलझाए बिना, कई परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं। निवेश प्रस्तावों पर निगरानी तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं, जिनमें बंद पड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं, और क्रियान्वयन के चरण में प्रक्रिया को त्वरित एवं बाधारहित बनाने के क्रम में निवेश संबंधी एक मत्रिमंडल समिति (सीसीआई) का गठन किया गया है। इसकी दो बैठकें पहले ही आयोजित हो चुकी हैं और तेल, गैस, विद्युत तथा कोयला संबंधी कई परियोजनाओं पर निर्णय लिए गए हैं। यह समिति शीघ्र कुछ और परियोजनाओं पर कार्य शुरू करेगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>आर्थिक कार्य विभाग] | निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति पहले ही 9 से अधिक बैंठकें आयोजित कर चुकी हैं। इनमें तेल और गैस, विद्युत और कोयला क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 30. | 59 | **नए निवेश**<br>मैं, नए निवेश जुटाने तथा परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए, नए उच्च मूल्यों वाला निवेश भत्ता आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ। 1.4.2013 से लेकर 31.3.2015 के दौरान किसी संयंत्र और मशीनरी में 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक का निवेश करने वाली कोई कंपनी निवेश के 15 प्रतिशत की दर पर निवेश भत्ते की कटौती की हकदार होगी। यह अवमूल्यन की चालू दरों के अतिरिक्त होगा। इससे लघु तथा मध्यम उद्यमों को अपार लाभ होंगे।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>आर्थिक कार्य विभाग] | इसे वित्त अधिनियम, 2013 के भाग के रूप में कार्यान्वित किया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 31. | 60 | राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति, 2012 से भारत में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देना अभिप्रेत है। हम इलेक्ट्रानिक के विनिर्माण की ईको प्रणाली में सेमी-कंडक्टर वाटर फैब के महत्व को समझते हैं। हम प्रतिस्पर्धी दुनिया की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धी दुनिया | मंत्रिमंडल ने सेमी कंडक्टर वेफर फैब विनिर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव 12.09.2013 को अनुमोदित किया।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | की वास्तविकता, जहां कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश जुटाती है। अतः मैं, संयंत्र तथा मशीनरी पर शून्य सीमा शुल्क के साथ-साथ सेमी-कंडक्टर वाटर फैब विनिर्माण सुविधाओं को समुचित प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्व विभाग] | |
| 32. | 61 | **बचत**<br>बढ़ती दीर्घ बचतें और उत्पादन कार्यों में उनके इष्टतम आबंटन ही उच्च आर्थिक वृद्धि को बढ़ाती हैं। 2007-08 में 36.8 प्रतिशत के उच्च अनुपात के साथ सकल घरेलू बचत 2011-12 में गिरकर 6 प्रतिशत पर आ गई। निजी क्षेत्र, जिसमें हाउसहोल्ड तथा निगम क्षेत्र शामिल हैं, ही बचत में मुख्य अंशदाता हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया ही जाना चाहिए और सोना खरीदने के बजाय वित्तीय लिखतों में बचतों को बनाए रखने के लिए हाउसहोल्ड क्षेत्र को अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए मैं, इस सिलसिले में निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँः | |
| | | • पहला, राजीव गांधी इक्विटी बचत स्कीम को उदारीकृत किया जाएगा, जिसमें पहली बार निवेशक को म्यूचुअल फंडों में तथा सूचीबद्ध शेयरों में निवेश करने की अनुमति होगी और वह यह कार्य सिर्फ एक वर्ष में नहीं बल्कि बाद के लगातार तीन वर्षों में कर सकेगा। आय सीमा 10,00,000 रुपए से बढ़ाकर 12,00,000 रुपए कर दी जाएगी; | वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को संशोधित किया जा चुका है. |
| | | • दूसरा, किसी बैंक या गृह वित्तपोषण निगम से 1.4.2013 से लेकर 31.3.2014 की अवधि के दौरान अपने पहले घर के लिए 25,00,000 रुपए गृह ऋण लेने वाला व्यक्ति 2014-15 में 1,00,000 रुपए तक ब्याज कटौती का हकदार होगा और यदि यह सीमा पूरी नहीं होती है तो शेष आकलन वर्ष 2015-16 में लागू होगी। इससे गृह स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा और इस्पात, सीमेन्ट, ईंट, लकड़ी, शीशा आदि उद्योगों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हजारों विनिर्माण मजदूरों को रोजगार मिलेगा। | वित्त विधेयक, 2013 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 80ङङ जोड़कर इसे प्रभावी किया गया है।. |
| | | • तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद मैं, एक नई लिखत की शुरूआत का प्रस्ताव करता हूँ जो मुद्रास्फीति से बचतों, खासकर गरीबों तथा मध्यम वर्गीय जनता की बचतों की रक्षा करेगा। इन्हें मुद्रास्फीति | मुद्रास्फीति आधारित बांड जारी किए गए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | सूचकांकित बांड या राष्ट्रीय मुद्रास्फीति सूचकांकित प्रमाणपत्र कहा जा सकेगा। इन लिखतों की संरचना की रूपरेखा और अवधि बाद में घोषित की जाएगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग,आर्थिक कार्य विभाग] | |
| 33. | 62 | **औद्योगिक कॉरिडोर**<br>दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना (डीएमआईसी) ने तेजी से प्रगति की है। सात नए शहरों के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और धोलेरा, गुजरात और शेन्द्रा-बिदकिन, महाराष्ट्र के दो नए औद्योगिक शहरों के संबंध में 2013-14 के दौरान कार्य शुरू हो जाएगा। इस संबंध में हम सहयोग के लिए जापान सरकार के आभारी हैं। निधियन के बारे में किसी संदेह की स्थिति में मैं, यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि जरूरी हुआ तो परियोजना के समग्र परिव्यय में भारत के अंशदान के लिए 2013-14 के दौरान हम अतिरिक्त निधियां जुटाएंगे।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग] | शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क और धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के चरण-I के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अग्रिम चरण में है। नोड/नगर स्तरीय एसपीपी के निर्माण के लिए शेयरधारक करार और राज्य सहायता करार को राज्य नोडल एजेंसी के साथ अंतिम रूप दिया गया है और राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 34. | 65 | **लेह-कारगिल ट्रांसमिशन लाइन**<br>लेह-कारगिल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुधारने के लिए तथा लद्दाख क्षेत्र को उत्तरी ग्रिड से जोड़ने के लिए सरकार 1,840 करोड़ रुपए की लागत पर श्रीनगर से लेह तक एक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर रही है। इस परियोजना के लिए 2013-14 में, मैं 226 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>विद्युत मंत्रालय] | आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 1788.41 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल लागत पर अल्सटेंग (श्रीनगर) से लेह (वाया द्रास, कारगिल व खाल्स्ती 220/66 केवी पीजीसीआईएल उप-स्टेशनों) तक 220 केवी पारेषण प्रणाली के निर्माण और जम्मू-कश्मीर में द्रास, कारगिल, खाल्स्ती और लेह उपस्टेशनों के लिए 66 केवी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) की अंतर संयोजकता प्रणाली का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 35. | 66 | **पत्तन**<br>100 मिलियन टन की क्षमता वर्धन के लिए, दो नए प्रमुख पत्तन सागर, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने हैं। इनके अलावा, तमिलनाडु में थूटूकुड्डी वीओसी पत्तन में 7,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर एक नया (बाहरी) बंदरगाह विकसित किया जाना है। इसके पूरा होने पर, 42 मिलियन टन क्षमता की वृद्धि होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>पोत परिवहन मंत्रालय] | मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश (दुगराजपटनम) और पश्चिम बंगाल (सागर) में दो नए बंदरगाहों की स्थापना का प्रस्ताव 09.05.2013 को अनुमोदित किया है।<br><br>वी.ओ. चिदम्बरानार पत्तन, तूतीकोरिन के बाहरी बंदरगाह की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो गयी है। पत्तन न्यास बोर्ड ने 12.11.2013 को आयोजित अपनी बैठक में यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 36. | 67 | **राष्ट्रीय जलमार्ग**<br>पांच जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जल संसाधन मंत्री शीघ्र ही असम में बराक नदी पर लखीपुर-बंगा जलधारा को छठे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए संसद में शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। जलमार्ग, सड़कों और पत्तनों से ग्रिड का संपर्क बनाने के लिए आरभिक तैयारी जारी है। प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारी कार्गो के आवागमन व परिवहन के लिए 12वीं योजना में प्रमुख कार्यों, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्गों की ड्रेजिंग भी शामिल है, के लिए पर्याप्त परिव्यय है। उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नौका प्रचालकों के चयन का है ताकि भारी माल को बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय जलमार्गों से ढोया जा सके। पश्चिम बंगाल में हल्दिया से फरक्का तक पहला परिवहन अनुबंध किया गया है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>पोत परिवहन मंत्रालय] | राष्ट्रीय जलमार्ग (असम में बराक नदी का लखीपुर-बंगा स्ट्रेच) विधेयक, 2013 राज्यसभा द्वारा 1.8.2013 को पारित किया गया। यह विधेयक, इस समय, लोक सभा के समक्ष लंबित है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 37. | 68 | **तेल और गैस**<br>लाभ वितरण से राजस्व वितरण संविदाओं की तरफ बढ़ते हुए तेल एवं गैस दोहन नीति की पुनः समीक्षा की जाएगी। शेल गैस के दोहन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति घोषित की जाएगी। प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण की समीक्षा की जाएगी और इसके मूल्यन से जुड़ी अनिश्चिताओं को दूर किया जाएगा। एनईएलपी ब्लॉक जिनका अधिनिर्णय किया गया किन्तु कार्यान्वित नहीं हो सके उन्हें क्लीयर किया जाएगा। दाभोल, महाराष्ट्र में 5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल 2013-14 में पूरी तरह से चालू हो जायेगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय] | रंगराजन समिति की अनुशंसाओं पर तैयार की गयी एक समान लाइसेंसिंग नीति के विषय में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले टिप्पण का प्रारूप 20.12.2013 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया है। प्रतिदर्श राजस्व विभाजन संविदा का प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। सरकार ने 01.04.2013 से 5 वर्ष की अवधि के लिए घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य नियत करने के संबंध में प्राकृतिक गैस मूल्य-निर्धारण मार्गनिर्देश, 2013 अनुमोदित किए हैं। 40 एनईएलपी ब्लाकों, जहां अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियां बंद हो गयी थी, में से, 31 ब्लाक स्वीकृत किए गए हैं। शेष 9 ब्लाक छोड़ दिए गए हैं। 5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल, अब चालू हो गए हैं।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 38. | 69 | **कोयला**<br>विशाल कोयला भण्डारों के बावजूद हम काफी मात्रा में कोयला आयात करते हैं। अप्रैल-दिसंबर 2012 की अवधि के दौरान कोयला आयात 100 मिलियन टन से भी ऊपर पहुंच गया था। अनुमान है कि यह आयात 2016-17 में 185 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। यदि मौजूदा विद्युत संयंत्रों तथा 31.3.2015 तक शुरु होने वाले विद्युत संयंत्रों की कोयला जरूरतों को ध्यान में रखें तो कोयला | कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी के लिए प्रणाली की अनुशंसा करने हेतु, सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत, महानदी कोयला क्षेत्र में अन्वेषित एक ग्रीनफील्ड कोयला खान को प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा एक प्रतिदर्श रियायत करार का प्रारूप तैयार किया गया है ताकि इस पर और विचार-विमर्श |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | आयात को स्वीकारने और मिश्रण तथा संचित मूल्य निर्धारण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मध्यम और दीर्घावधिक उपायों में हमें आयातित कोयले पर निर्भरता को हटाना होगा। इससे बचाव का अगर कोई तरीका हो सकता है तो इसके लिए हमें विद्युत उत्पादकों तथा अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने के लिए कोयला उत्पादन को बढ़ाने के क्रम में एक भागीदार के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी की एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करनी होगी। इन मामलों पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में कोयला मंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा करेंगे।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कोयला मंत्रालय] | किया जा सके। प्रतिदर्श रियायती करार को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों, विभागों और मंत्रालयों के अभिमत प्राप्त किए जा रहे हैं।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 39. | 70 | **विद्युत**<br>माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि डिस्काम्स (डीआईएससीओएमएस) की वित्तीय पुनर्संरचना और विद्युत क्षेत्र की हालत में सुधार के लिए सरकार ने एक स्कीम को अनुमोदित किया है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करना चाहूंगा कि शीघ्रता से वित्तीय पुनर्संरचना योजनाएं तैयार करें, इसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें और स्कीम से लाभ उठाएं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>विद्युत मंत्रालय, राजस्व विभाग] | तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और हरियाणा के संबंध में वित्तीय पुनर्संरचना योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।<br><br>झारखण्ड, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए विशेष छूट देने पर विचार किया जा रहा है।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 40. | 71 | **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**<br>नौकरियों, उत्पादन और निर्यात में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कई उद्यम छोटे और मध्यम हैसियत से जुड़े लाभों को खोने के डर से और तरक्की नहीं कर पाते हैं। उन्हें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि जिस श्रेणी में उन्हें यह लाभ मिलता है, उस श्रेणी से आगे बढ़ने के बावजूद अगले तीन वर्षों तक उन्हें यह लाभ मिलता रहे। शुरुआत के तौर पर मेरा प्रस्ताव है कि एमएसएमई, कलस्टर विकास कार्यक्रम, ऋण गारंटी विकास कोष, ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी स्कीम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम तथा गुणवत्तापरक उन्नयन के लिए प्रोत्साहन एमएसएमई की एमई इकाइयों को तब तक उपलब्ध कराएं, जब तक कि वे इससे ऊंची श्रेणी में न पहुंच जाएं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय] | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाई को कर-भिन्न प्रसुविधाएं, उसके उच्चतर श्रेणी में पहुंचने के बाद, तीन वर्षों के लिए देने के बारे में, अधिसूचना 04.11.2013 को जारी कर दी गई है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 41. | 72 | सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को अधिक सहायता मुहैया कराने के लिए मैं सिडबी की पुनर्वित्त क्षमता को प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय] | सिडबी को 10,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 42. | 73 | वर्ष 2011-12 में सिडबी ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को इक्विटी और अर्ध-इक्विटी मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से इंडिया माइक्रो फायनेंस इक्विटी नामक कोष की स्थापना की है। 37 एमएफआई के लिए 104 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैंने आईएमई कोष में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और अब मेरा प्रस्ताव इस निधि में प्रतिवर्ष 100 करोड़ की एक और राशि मुहैया कराने का है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग,आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)] | सिडबी को 100 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए हैं। सिडबी को, इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड योजना के मार्गनिर्देशों में संशोधन के पश्चात, अतिरिक्त राशि जारी कर दी जाएगी।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 43. | 74 | कारखाना अधिनियम, 2011 संसद द्वारा पारित है। मैं कारखानों के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु सिडबी हेतु 500 करोड़ रुपए की निधि मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग] | व्यय वित्त समिति ने प्रस्ताव का अनुमोदन 10.12.2013 को किया। इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजा गया है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 44. | 75 | छोटे कारोबारियों को तकनीकी तथा अभिकल्पना संबंधी सहायता देने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा टूल रूम तथा तकनीकी विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 12वीं योजना अवधि के दौरान ऐसे 15 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए विश्व बैंक की सहायता से मैं 2,200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,आर्थिक कार्य विभाग] | व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है और उसे विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है।<br><br>200 मिलियन अमरीकी डालर की आईबीआरडी सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ तकनीकी विचार-विमर्श 20.12.2013 को सफलतापूर्वक किया गया।<br>ईएफसी और सीसीईए द्वारा योजना का अनुमोदन होने पर, तकनीकी चर्चाओं को वार्ता का दर्जा दिया जाएगा।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 45. | 76 | लघु तथा मध्यम कारोबार के रूप में नए कारोबारों के सृजन में इन्क्यूबेटरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत नया कंपनी विधेयक कंपनियों को औसत निवल लाभों के 2 | नया कंपनी अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया गया है। नियमों के प्रारूपण का कार्य जारी है और एक बार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अधिसूचित हो जाने पर, कारपोरेट के सामाजिक दायित्व व्यय के रूप में तकनीकी इन्क्यूबेटरों को अधिसूचित |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | प्रतिशत खर्च करने के लिए बाध्य करता है। मुझे यह घोषित करते हुए खुशी है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय शैक्षिक संस्थानों में स्थित तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा अनुमोदित तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के रूप में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक इन्क्यूबेटरों को मुहैया कराई जाने वाली निधियाँ अधिसूचित करेगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>कारपोरेट कार्य मंत्रालय] | करके घोषणा को प्रभावी बनाया जाएगा।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 46. | 77 | **वस्त्र**<br>मैं 12वीं योजना में कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफस) को 151,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मुख्य फोकस विद्युत करघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर होगा। 2013-14 में इस प्रयोजन हेतु, मैं 2,400 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वस्त्र मंत्रालय] | प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) संबंधी मंत्रिमंडल नोट अगस्त, 2013 में अनुमोदित किया गया है। सब्सिडी 20 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत एमएमएस हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत करघा बुनकरों के लिए, भाड़ाक्रय (हायर पर्चेज) के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रायोगिक योजना अनुमोदित की गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 47. | 78 | टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत की गई है। वस्त्र विनिर्माण इकाइयों के लिए एसआईटीपी के भीतर वस्त्र पार्कों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे वस्त्र पार्कों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं वस्त्र मंत्रालय को 50 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ जिससे कि प्रत्येक पार्क को 10 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जा सके।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वस्त्र मंत्रालय] | एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना (एसआईटीपी) और परिधान पार्कों से संबंधित आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल नोट 03-10-2013 को अनुमोदित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 48. | 79 | 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना नामक एक नई योजना का कार्यान्यवन 12वीं योजना में निस्सारी अभिक्रिया अवसंरचना में सुधार सहित वस्त्र उद्योग के पर्यावरण संबंधी सरोकारों की देख-रेख हेतु किया जाएगा। 2013-14 में इस योजना हेतु, मैं 50 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वस्त्र मंत्रालय] | आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 30-10-2013 को यह योजना अनुमोदित की। परियोजना प्रंबधन परामर्शदाताओं की हित अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 49. | 80 | हथकरघा क्षेत्र संकट में है। हथकरघा बुनकरों में अधिकांशतः महिलाएँ हैं और मुख्यतया पिछड़े वर्गों से हैं। मैं कार्यशील पूँजी और सावधि ऋणों की उनकी माँग को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2013-14 में 1,50,000 बुनकर और 1,800 प्राथमिक सहकारी समितियों को फायदा पहुँचेगा। मैं 2013-14 में वस्त्र मंत्रालय को 96 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ब्याज सहायता के रूप में आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वस्त्र मंत्रालय] | ब्याज सरकारी आर्थिक सहायता योजना सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 50. | 81 | भारत के पास पारम्परिक उद्योगों की एक समृद्ध परम्परा है। 11वीं योजना के दौरान पारम्परिक उद्योग पुनरुद्धार निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) के खादी उद्योग, ग्रामीण उद्योग और नारियल जटा उद्योगों के विकास हेतु जिम्मेवारी ली गई। परिणामों से प्रोत्साहित होकर, 12वीं योजना में 850 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। 12वीं योजना के दौरान 800 समूहों को एसएफयूआरटीआई प्रदान करने के लिए मैं बहुपक्षीय विकास बैंकों से लीवरेज सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। 400,000 कारीगरों के लाभान्वित होने की प्रत्याशा है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय] | पारम्परिक उद्योग पुनरुद्धार निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) को बारहवीं योजना के दौरान जारी रखने के प्रस्ताव पर, व्यय वित्त समिति ने 3-1-2014 को विचार किया।<br><br>बहुपक्षीय विकास बैंकों से अपेक्षित निधियों की व्यवस्था के मामले को उनके साथ लिया जाएगा।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 51. | 82 | **विदेश व्यापार**<br>अगले माह विदेश व्यापार नीति में किए जाने वाले बदलाव को देख रहा हूं और वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले उपायों का समर्थन करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वाणिज्य मंत्रालय] | विदेश व्यापार नीति (एफटीएफ) में आवश्यक संशोधनों की घोषणा की गई है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 52. | 84 | माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि सरकार ने 2011 में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन किया है। मुझे बताया गया है कि रिपोर्ट अगले माह प्रस्तुत की जाएगी। हमारा आशय इसकी सिफारिशों की जाँच करना और त्वरित एवं निर्णायक रूप से कार्य करना है जिससे कि हमारा वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़ विधिक बुनियादों पर खड़ा हो तथा | स्थायी परिषद का गठन अधिसूचित कर दिया गया है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | पूर्ण-विनियमित, दक्ष और अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी रहे। मैं, वित्त मंत्रालय में विशेषज्ञों की एक स्थायी परिषद के गठन का प्रस्ताव करता हूँ जो भारतीय वित्तीय क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण करे, भारतीय बाजार में व्यापार करने की लेन-देन लागतों की समय-समय पर जाँच करे तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को जानकारी प्रदान करे।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>आर्थिक कार्य विभाग (सीएम प्रभाग)] | |
| 53. | 85 | **बैंकिंग**<br>हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अच्छी तरह से विनियमित हैं, अतः उनका पर्याप्त रूप से पूँजीकरण भी किया जाना चाहिए। मार्च, 2013 की समाप्ति के पहले, हम सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों को 12,517 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूँजी प्रदान करेंगे। 2013-14 में, मैं पूँजी हेतु 14,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमेशा बासेल-III विनियमों की शर्तें पूरी करें क्योंकि ये विनियम चरणबद्ध तरीके से लागू होते हैं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग] | 18-03-2013 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 13 बैंकों में पहले ही 12,517 करोड़ रुपए की राशि लगा दी गई है। मंत्रिमंडल ने 2013-14 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाने के लिए 'सिद्धांतः' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 54. | 86 | वित्तीय समावेशन में तीव्र प्रगति हुई है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (एनईएफटी और आरटीजीएस) की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हम भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के साथ कुछ सहकारी बैंकों सहित सभी अन्य बैंकों में 31.12.2013 तक सीबीएस और ई-पेमेंट प्रणाली शुरु करने के संबंध में कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुझे आश्वासन दिया है कि उनकी सभी शाखाओं में 31.3.2014 तक एटीएम की सुविधा शुरु हो जाएगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग] | कुल 1594 गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (यूसीबी) में से, 375 ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) प्रणाली को कार्यान्वित किया है। शेष बैंक सीबीएस कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सहकारी बैंकों/गैर-अनुसूचित बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे मार्च, 2014 तक सीबीएस प्रणाली लागू करें।<br><br>वर्ष 2013-14 के दौरान, 34668 एटीएम लगाने का लक्ष्य था। 31-12-2013 तक, 14,309 एटीएम लगाए गए हैं।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 55. | 87 | वर्तमान में, महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों सहित कई बैंकों की प्रमुख हैं, परन्तु ऐसा कोई बैंक नहीं है जो अनन्य रूप से महिलाओं के लिए ही सेवा प्रदान करता हो। क्या हमारे पास ऐसा बैंक हो सकता | कारोबार शुरू करने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन, बैंकिंग कम्पनी के रूप में भारतीय महिला बैंक लिमिटेड को निगमित किया गया है। सरकार ने बैंक की इक्विटी पूंजी के रूप में 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | है जो केवल महिलाओं और महिलाओं द्वारा परिचालित व्यापारों को ही ऋण प्रदान करता हो और महिलाओं के स्व-सहायता समूहों और महिलाओं की आजीविका हेतु सहायता प्रदान करता हो, जो अपने कार्यों हेतु मुख्यतया महिलाओं को ही नियुक्त करता हो तथा जो सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिंग संबंधी पहलुओं की देख-रेख करे। इसलिए मेरा प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में प्रथम महिला बैंक स्थापित करने का है। इसकी आरंभिक पूंजी के तौर पर, मैं 1,000 करोड़ रुपए मुहैया कराऊँगा। उम्मीद है कि अक्तूबर, 2013 तक बैंकिंग लाइसेंस तथा अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएंगे और उसके बाद, बैंक के उद्घाटन के अवसर पर, मैं सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करूँगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग,आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)] | ***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 56. | 88 | राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए गठित ग्रामीण आवास कोष को आरआरबी सहित, जो ग्रामीण आवास के लिए ऋण मुहैया कराते हैं, ऋणदाता संस्थाओं के पुनः वित्तपोषण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अब तक 4,00,000 ग्रामीण परिवार ऋण ले चुके हैं। पिछले बजट में, हमने इस कोष में 4,000 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। अब भारतीय रिर्जव बैंक से परामर्श के बाद 2013-14 में ग्रामीण आवास कोष में 6,000 करोड़ रुपए मुहैया कराने का मेरा प्रस्ताव है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग] | भारतीय रिजर्व बैंक ने तारीख 14-06-2013 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा संचालित की जाने वाली ग्रामीण आवास निधि के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 57. | 89 | इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में मकानों की भारी कमी को दूर करने के लिए मेरा प्रस्ताव शहरी आवास के लिए एक कोष गठित करने का है। राष्ट्रीय आवास बैंक से मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करते हुए एक शहरी आवास कोष गठित किया जाए। मैं 2013-14 में इस कोष में 2,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग] | भारतीय रिजर्व बैंक ने तारीख 14-06-2013 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा संचालित की जाने वाली शहरी आवास निधि के लिए 2000 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 58. | 90 | **बीमा**<br>देश में जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों के प्रसार के लिए एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाए | |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | जाने की जरूरत है। विनियामक (इरडा) से परामर्श करते हुए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है, जो इस प्रकार हैं: | |
| | | • बीमा कंपनियों को, इरडा के पूर्वानुमोदन के बिना, टीयर-II तथा इससे निचले शहरों में शाखाएं खोलने की अनुमति होगी। | बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है। |
| | | • 10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले प्रत्येक भारतीय कस्बे में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय साधारण बीमा कंपनी का कम से कम एक कार्यालय होगा। मेरा इस लक्ष्य को 31.3.2014 तक हासिल करने का प्रस्ताव है। | भारतीय जीवन बीमा निगम ने, जीवन बीमा कार्यालय-विहीन नगरों में खोले जाने वाले 1700 कार्यालयों में से, 31-12-2013 तक 1182 छोटे कार्यालय खोले हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जनवरी, 2014 तक शेष 518 कार्यालय खोलने की योजना बनाई है।<br>चार पब्लिक सेक्टर साधारण बीमा कंपनियों ने, ऐसे 1859 शहरों, जहां उनका कोई कार्यालय नहीं था, में से, 31-12-2013 तक 1831 शहरों में कार्यालय खोले हैं।. |
| | | • बैंकों की केवाईसी बीमा पॉलिसियां लेने के लिए पर्याप्त होंगी। | इरडा बैंकों की केवाईसी बनाने पर सहमत हो गया है। यह बीमा पोलिसियां लेने के लिए लागू है। |
| | | • बैंकों को बीमा ब्रोकर के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे कि बैंक शाखाओं के समूचे नेटवर्क का उपयोग विस्तार क्षेत्र बढ़ाने में किया जा सके। | इरडा ने इरडा (बीमा ब्रोकरों के रूप में बैंकों की लाइसेंसिंग) विनियमन, 2013 अनुमोदित कर दिए हैं। तथापि, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग से विशेष अनुमोदन लेना होगा। |
| | | • बैंकिंग संपर्कियों को माइक्रो-बीमा उत्पादों का विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। | इरडा ने, प्रस्तावित इरडा (माइक्रो बीमा)(संशोधन) विनियमन की पुनरीक्षा और अधिसूचना लम्बित होने तक, 03-04-2013 को माइक्रो बीमा एजेंटों के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के मुताबिक, कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियों सहित, बैंकिंग कंपनियों के रूप में नियुक्त अधिकांश संगठनों को माइक्रो-इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए माइक्रो-इंश्योरेंस एजेंटों की नियुक्ति के लिए इरडा द्वारा अनुमति दी गई है। |
| | | • ग्रुप बीमा उत्पादों को अब स्व सहायता समूहों, घरेलू वर्कर्स एसोशियसनों, आंगनवाडी वर्करों, स्कूलों के अध्यापकों, अस्पतालों में कार्यरत नर्सों आदि जैसे समरूपी वर्गों को प्रस्तावित किया जाएगा। | इरडा ने 20-6-2013 को परिपत्र जारी कर दिया है। |
| | | • लगभग 10,00,000 मोटर थर्ड पार्टी दावे हैं जो अधिकरणों/न्यायालयों में लंबित हैं। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां इन दावों को निपटाने और प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत देने के लिए अदालतें आयोजित करेंगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभाग:<br>वित्तीय सेवा विभाग] | दिसम्बर, 2013 तक, 1,40,420 लम्बित मामलों में से, 70592 मामले निपटाए गए।.<br><br>सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के साथ प्रगति की समीक्षा की गई। नियमित लोक अदालतों, जिनके माध्यम से उपर्युक्त प्रगति हुई है, के अतिरिक्त, सभी राज्यों में 23 नवंबर, 2013 और 30 नवंबर, 2013 को मेगा लोक अदालतें आयोजित की गईं। |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | | मेगा लोक अदालतों में, सरकारी क्षेत्र की चार समूह बीमा कंपनियों ने 62,750 मामले भेजे, जिनमें से 40310 मामले निपटाए गए। यह कुल मामलों का 64.4 प्रतिशत बैठता है।<br>***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण*** |
| 59. | 91 | बीमा विधि (संशोधन) विधेयक और पीएफआरडीए विधेयक सदन में रखे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार और विपक्ष आम सहमति बनाए और इस सत्र में दोनों विधेयकों को पारित करें।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>विधि एवं न्याय मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग] | • बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 में आधिकारिक संशोधनों से संबंधित प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा 04-10-2012 को अनुमोदित किया गया। इन आधिकारिक संशोधनों को संसद के बजट सत्र में पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।<br>• पीएफआरडीए विधेयक संसद द्वारा सितंबर, 2013 में पारित किया गया है।<br>***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण*** |
| 60. | 92 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-निर्वाह करने वाले 34 मिलियन परिवार आते हैं। इस योजना का विस्तार अब रिक्शा, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों, स्वच्छता वर्करों, कबाड़ियों और खान वर्करों जैसी अन्य श्रेणियों के लिए किया जाएगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय] | मंत्रिमंडल ने स्वच्छता कामगारों, रिक्शा चालकों, कबाड़ियों, खनन कामगारों और ऑटो/टैक्सी ड्राइवरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव 4.6.2013 को अनुमोदित किया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 61. | 93 | असंगठित क्षेत्र के लिए वृहद और एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पैकेज एक ऐसा उपाय है जिससे समाज के सबसे गरीब और दुर्बल वर्गों को फायदा होगा। इस पैकेज में लाइफ-कम निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य कवर मातृत्व सहायता और पेंशन प्रसुविधाओं को शामिल किया जाना चाहिए। एएबीवाई और आईजीएमएमवाई जैसी वर्तमान योजनाओं को अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित किया जाता है। मैं विविध स्टेकहोल्डर मंत्रालयों/विभागों के बीच इन योजनाओं के कनवर्जेंस को सुसाध्य बनाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि हम एक वृहद सामाजिक सुरक्षा पैकेज तैयार कर सकें।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>वित्तीय सेवा विभाग] | वित्तीय प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (आईएफएमआर) की रिपोर्ट के आधार पर, सचिवों की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 62. | 94 | **पूंजी बाजार**<br>मुझे विश्वास है कि भारत का पूंजी बाजार सर्वोत्तम विनियमित बाजारों में है। विनियामक सेबी ने पिछले वर्षों में विनिमय और परिपाटियां निर्धारित की हैं जिनमें बाजार को एक परिपक्व बाजार बनने के लिए अनुमति है। यह वर्ष सेबी का रजत जयंती वर्ष है और | पूंजी बाजार विनियामक की शक्तियों के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, और संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने के लिए 18 जुलाई, 2013 को एक अध्यादेश प्राख्यापित किया गया। विधेयक को लोक सभा में 12.08.2013 को पुरःस्थापित किया गया। वर्तमान स्वरूप में यह विधेयक वित्त |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | मैं सेबी को इसके लिए बधाई देता हूं। इस विनियामक को सुदृढ़ करने के लिए सेबी अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।.<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>आर्थिक कार्य विभाग (सीएम प्रभाग)] | संबंधी स्थायी समिति के समक्ष है ताकि उसकी रिपोर्ट संसद में रखी जा सके।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 63. | 95 | मेरे पास पूंजी बाजार से संबंधित अनेक प्रस्ताव हैं जिन्हें सेबी के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया हैः | |
| | | • विदेशी संस्थागत निवेशकों, उप-खाताओं, अर्हक विदेशी निवेशकों आदि जैसे विदेशी पॉर्टफोलियों निवेशकों की अनेक श्रेणियां हैं और उनके लिए भिन्न-भिन्न अवसर और प्रक्रियाएं भी हैं। सेबी द्वारा प्राधिकृत निर्दिष्ट निक्षेपागार भागीदार, के.वाई.सी. दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने पर अब पोर्टफोलियो निवेशकों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों को रजिस्टर करने के लिए स्वतंत्र होंगे; | के.एम. चन्द्रशेखर समिति की रिपोर्ट 12 जून, 2013 को प्रस्तुत की गयी। इस समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। |
| | | • सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के प्रवेश के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा तथा समान रजिस्ट्रेशन और अन्य मानकों को विहित करेगा। सेबी विभिन्न केवाईसी मानकों को इकट्ठा करेगा तथा केवाईसी के लिए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि इसे केंद्रीय बैंकों, सावरेन संपत्ति निधियों, विश्वविद्यालय निधियों, पेंशन निधियों आदि के रूप में विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने हेतु ज्यादा सहज बनाया जा सके। | जोखिम आधारित केवाईसी को कार्यान्वित करने के लिए पीएमएलए नियमों में आवश्यक संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। |
| | | • विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश में जो अस्पष्टता है, उसे दूर करने के लिए, मैं अंतरराष्ट्रीय परिपाटी का अनुसरण करने और एक व्यापक सिद्धान्त विहित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस नियम के अनुसार जहां किसी कंपनी में निवेशक का हिस्सा 10 प्रतिशत या उससे कम है, वहां उसे विदेशी संस्थागत निवेशक माना जाएगा तथा जहां किसी निवेशक का हिस्सा 10 प्रतिशत से अधिक है वहां उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। इस सिद्धांत को लागू करने तथा शीघ्रता से ब्यौरा तैयार करने के लिए समिति गठित की जाएगी। | सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, सेबी, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों से बनी समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को अभिमतों के लिए परिचालित किया गया है। |
| | | • विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में अपने भारतीय रुपए की दृष्टि से निवेश की सीमा तक विनियम व्यापारित करेंसी व्युत्पन्न खंड में भाग लेने की अनुमति होगी। | विदेशी मुद्रा बजार में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि रुपये का मूल्य स्थिर होने तक, यह प्रस्ताव आस्थगित रखा जाए। |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | • विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपनी मार्जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कॉलेट्रल के रूप में कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश का प्रयोग करने की भी अनुमति होगी। | भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने आवश्यक परिपत्र जारी कर दिए हैं। |
| | | • आदर्श निवेशक नए उद्यमों के लिए अनुभव और पूंजी दोनों लेकर आते हैं। सेबी आदर्श निवेशक पूल के लिए शर्तें विहित करता है जिसके द्वारा उनको श्रेणी 1 एआईएफ उद्यम पूंजी निधियों के रूप में मान्यता दी जाएगी। | सेबी (आनुकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 में किए गए संशोधन 25.06.2013 को प्रभावी हुए। |
| | | • कंपनियों के निगमन सहित, लघु और मझौले उपक्रमों को प्रारंभिक पब्लिक आफर करने की अपेक्षा के बिना, लघु और मझौले उपक्रमों के एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति होगी परन्तु यह निर्गम अधिसूचित निवेशकों तक सीमित होगा। यह नई सुविधा मौजूदा लघु और मझौले उपक्रम प्लेटफार्म के अलावा होगी, इस प्लेटफार्म में आईपीओ के माध्यम से और व्यापक निवेश भागीदारी करके सूचीबद्ध किया जा सकता है। | सेबी (संस्थागत व्यापार मंच संबंधी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का सूचीयन) विनियमन, 2013 तारीख 08.10.2013 को और परिपत्र 24.10.2013 को जारी किया गया। |
| | | • ऋण बाजार के विकास के उद्देश्य से, स्टॉक एक्सचेंजों को विनिमय संबंधी एक समर्पित विनिमय ऋण खण्ड शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। बैंकों और प्राइमरी डीलर्स मालिकाना कारोबारी सदस्य होंगे। एक सम्पूर्ण बाजार सृजित करने के लिए, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों और पेंशन निधियों की अनुमति क्षेत्रीय विनियामक के अनुमोदन से ऋण खण्ड में सीधे व्यापार करने की होगी। | सेबी ने बैंकों, प्राथमिक डीलरों, बीमा कम्पनियों, पेंशन और भविष्य निधियों को अनुमति प्रदान करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों संबंधी ऋण खण्ड शुरू करने के उद्देश्य से, 5.4.2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक-ब्रोकर और सब-ब्रोकर) विनियमन, 1992 में संशोधन किया, जिससे कि संबंधित विनियमों द्वारा अनुमोदन होने पर वे सदस्य बन सकें।<br>प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में किए जाने वाले संशोधनों का प्रारूप विधिक परीक्षण के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना के लिए भेजा जा रहा है। |
| | | • म्यूचुअल फंड वितरकों को स्टॉक एक्सचेंजों के म्यूचुअल फंड खण्ड में सदस्य बनने की अनुमति होगी ताकि वे अपनी पहुंच और वितरण सुधारने के लिए स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क के लाभों को बढ़ा सकें। | सेबी बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2013 तारीख 19.08.2013 को संशोधित किया गया। |
| | | • पात्र प्रतिभूतियों की सूची को व्यापक बनाया जाएगा जिससे की विनिमय व्यापारित निधियों, डेट म्यूचुअल फंड्स और आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों को शामिल किया जा सके। इन पात्र प्रतिभूतियों में पेंशन निधियां और भविष्य निधियां निवेश की जा सकेंगी<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>आर्थिक कार्य विभाग,औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वित्तीय सेवा विभाग] | भविष्य निधि आदि के लिए निवेश पैटर्न की समीक्षा के संबंध में श्री जी.एन बाजपेयी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट शीघ्र आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, भविष्य निधियों आदि के लिए निवेश पैटर्न को संशोधित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।<br>***कार्रवाई अंशिक रूप से पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 64. | 96 | **VI. पर्यावरण**<br>भारत में प्रतिदिन कई हजार टन कचरा निकलता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए जैव-निम्नीकरणीय कचरा संसाधित किया जा सकता है। हम नगरों और नगरपालिकाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना तैयार करेंगे कि वे सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं का कार्य हाथ में लें। इससे प्रौद्योगिकियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यवहार्यता अंतराल निधियन, संदेय अनुदान और निम्न लागत वाली पूंजी जैसी भिन्न-भिन्न लिखतों के माध्यम से जो नगरपालिकाएं कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की परियोजनाएं कार्यान्वित करेंगी, उनके लिए मैं, सहायता का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>शहरी विकास मंत्रालय] | शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। मुम्बई और केरल में प्रायोगिक परियोजनाओं को चिन्हित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 65. | 97 | स्वच्छ और हरित ऊर्जा सरकार की प्राथमिकता है। तथापि, श्रम, भूमि और निर्माण की लागत में किफायत होने के बावजूद, उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उच्च कीमत देता है। इन कारणों में से एक कारण उच्च वित्त लागत का होना है। निम्न लागत पर वित्त प्रदान करने के लिए सरकार क्षम नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ईरेडा को ऋण देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से कम ब्याज वाली निधियां उपलब्ध करेगी। इस योजना की क्रियान्वयन अवधि पांच वर्ष होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय] | आईआरईडीए के माध्यम से पुनर्वित्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से कम लागत वाली निधियां निर्धारित करने वाली योजना तैयार की गई है। इस योजना को शुरू करने के लिए, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 66. | 98 | गैर-परंपरागत पवन ऊर्जा सेक्टर को प्रोत्साहनों की जरूरत है। इसलिए, मैं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन' पुनः शुरू करने और इस उद्देश्य के लिए गैर-नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 800 करोड़ रुपए के अनुमोदन का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय] | आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 1.8.2013 को आयोजित अपनी बैठक में पवन ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को जारी रखने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। यह योजना 04.09.2013 को शुरू की गई।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 67. | 99 | **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि**<br>पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) पूरक निधियन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं 2013-14 में 11,500 | राज्यों के एक संयुक्त विकास सूचकांक विकसित करने और मापदंड सुझाने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | करोड़ रुपए के साथ-साथ एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में बिहार, बुंदेलखण्ड क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, ओडीशा के केबीके जिले और एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत 82 जिलों के राज्य घटकों को शामिल किया जाएगा। पिछड़ेपन निर्धारण के वर्तमान मानक भूमि, जनसंख्या धनत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लम्बाई पर आधारित हैं। ज्यादा प्रासंगिक यह होगा कि इसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता तथा अन्य मानव विकास संसूचकों जैसे राष्ट्रीय औसत से राज्य की दूरी जैसे उपायों का उपयोग किया जाए। मैं नये मानदंड तैयार करने तथा उन्हें भविष्य की योजनाओं तथा निधियों के अंतरण में प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>पंचायती राज मंत्रालय,योजना आयोग, व्यय विभाग] | दी है। योजना आयोग द्वारा रिपोर्ट की अनुशंसाओं की जांच की जा रही है।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 68. | 100 | **कौशल विकास**<br>माननीय सदस्यों को याद होगा कि 2008-09 में मैंने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की प्रस्तावना की थी। अतः निगम की स्थापना की गई तथा इसने अच्छा कार्य किया है, लेकिन इस दिशा में अभी प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। हमने 12वीं योजना अवधि के दौरान 50 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने संबंधी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है जिससे 2013-14 में 9 मिलियन लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना होगा। निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जारी की जाएंगी और कौशल विकास गतिविधियों पर व्यय की जाएंगी। कौशल विकास के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधि का 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति उप आयोजना को केंद्रीय सहायता का 10 प्रतिशत, जनजातीय उप आयोजना और कुछ अन्य निधियों का भी उपयोग किया जाएगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय,आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय,योजना आयोग, आर्थिक कार्य विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय] | विभिन्न स्कीमों के तहत, अब तक, लगभग 3.17 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इस पर 396 लाख रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है।<br><br>सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया है कि वे विशेष केंद्रीय सहायता का कम से कम 10 फीसदी हिस्सा कौशल विकास कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना पर खर्च करें। कौशल उन्नयन की विविध स्कीमों के अन्तर्गत, अब तक, कुल मिलाकर करीब 23,000 अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं।<br><br>जनजाति उपयोजना के लिए राज्यों को दी जाने वाली 111.45 करोड़ रुपए की स्वीकृत विशेष केंद्रीय सहायता में से, कौशल विकास गतिविधियों के लिए 94.55 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इससे, 59645 से अधिक व्यक्तियों को फायदा होगा।<br><br>सभी सीमावर्ती राज्यों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अन्तर्गत आबंटित की गयी राशि का कम से कम 5 फीसदी हिस्सा कौशल विकास कार्यों पर खर्च करें।<br><br>स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत प्रदान की गयी 950 करोड़ रुपए की राशि की 48 प्रतिशत राशि शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण पर खर्च की जाएगी। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर, 6404.09 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ 03.09.2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का अनुमोदन किया है।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 69. | 103 | हालांकि हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) के गुणों की प्रशंसा करते हैं किंतु मैं सोचता हूं कि हम आम आदमी के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहाकार की सहायता से, मैंने कुछ एस एंड टी नवाचारों की पहचान की है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संगठनों के निधियन हेतु 200 करोड़ रुपए पृथक रूप से रखे जाये जो इन उत्पादों का दायरा बढ़ाते हुए लोगों को ये उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। मैं राष्ट्रीय नवाचार परिषद निधि के प्रबंधन और अनुप्रयोग के लिए भी एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग] | आम आदमी के फायदे के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों के लिए 200 करोड़ रुपए के उपयोग की स्कीम के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 70. | 104 | **उत्कृष्ट संस्थाएं**<br>उत्कृष्टता संबंधी संस्थाओं की सहायता करने की परंपरा जारी रखते हुए मैं निम्न में प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूं:<br><br>• अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ परिसर<br>• बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी<br>• टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी परिसर<br>• इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चरल हैरिटेज (इन्टैक)<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>उच्चतर शिक्षा विभाग,संस्कृति मंत्रालय] | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को देने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।<br><br>टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी परिसर को निधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटित यूजीसी के एनईआर आबंटन अनुदान से प्रदान की जाएंगी।<br><br>इन्टेक को अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए कारपस निधि के रूप में 100 करोड़ रुपए का अनुदान 30.09.2013 को जारी कर दिया गया।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 71. | 105 | **खेल**<br>सभी खेलों को हमारी सहायता की जरूरत है। हमारे पास अनेकों पुरुष और महिला खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रशिक्षक कम हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि तीन वर्षों की अवधि के दौरान 250 करोड़ रुपए की लागत से पटियाला में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाए।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>आर्थिक कार्य विभाग (एबीसी प्रभाग),खेल विभाग] | नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान (एनएसएमआईएससी) की स्थापना संबंधी अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 72. | 106 | **प्रसारण**<br>सरकार प्रस्ताव करती है कि निजी एफएम रेडियो की सेवाओं को 294 और शहरों तक पहुंचाया जाये। वर्ष 2013-14 में लगभग 839 नये एफएम चैनलों | केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, संपूर्ण निविदा प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक स्वायत्त बाह्य मॉनीटर (आई.ई.एम) नियुक्त किया गया है। |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | की नीलामी की जाएगी और, नीलामी के पश्चात उन सभी नगरों में जिनकी जनसंख्या 100,000 से अधिक है निजी एफएम रेडियो सेवाएं उपलब्ध होंगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>सूचना और प्रसारण मंत्रालय] | इस प्रयोजनार्थ एक अन्य आईईएम की नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। आईईएम द्वारा संस्तुत सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं। आर.एफ.पी. अभी जारी होनी है।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 73. | 107 | **पंचायती राज**<br>वर्तमान वर्ष में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान 50 करोड़ रुपए के सामान्य आवंटन के साथ आरंभ किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता निर्माण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2013-14 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए मैंने 455 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसके अलावा, मैं 200 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>पंचायती राज मंत्रालय,आर्थिक कार्य<br>विभाग (बजट प्रभाग)] | इस स्कीम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गयी है।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 74. | 108 | **डाकघर**<br>सरकार ने 4,909 करोड़ रुपए की लागत पर पोस्टल नेटवर्क को आधुनिकीकृत बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। डाकघर बुनियादी बैंकिंग समाधान का हिस्सा बन जाएंगें और साथ-साथ बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करेंगे। मैं 2013-14 में इस परियोजना के लिए 532 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>डाक विभाग] | कोर बैंकिंग साधनों को कार्यान्वित करने और एटीएम लगाने के लिए, मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड को वित्तीय सेवा सिस्टम इंटिग्रेटर हेतु नियुक्त किया गया है। यह परियोजना 28.09.2013 को शुरू हुई थी और इसका कार्यान्वयन तमिलनाडु स्थित 3 डाकघरों से आरम्भ हुआ। कोर बैंकिंग साधन वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यान्वित होंगें।<br><br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 75. | 109 | **गदर स्मारक**<br>गदर आंदोलन की शताब्दी मनाने के लिए, सरकार सेन-फ्रांसिस्को में गदर स्मारक को संग्रहालय तथा पुस्तकालय में परिवर्तित करने के लिए धनराशि प्रदान करेगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>विदेश मंत्रालय विभाग] | सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण के लिए 19,500 अमरीकी डालर स्वीकृत किए हैं।<br><br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 76. | 110 | **केंद्रीय योजनाएं**<br>सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता संबंधी योजनाओं को कम करने के | केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को पुनः तैयार करने का प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है ताकि इन स्कीमों की |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | बारे में चिंतित है। ये, 11वीं योजना के अंत में, 173 थीं। मुझे यह घोषणा करने में हर्ष हो रहा है कि इन योजनाओं को 70 योजनाओं में पुनः बनाया जाएगा। प्रत्येक योजना की दो वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी। इन योजनाओं के लिए केंद्रीय निधियां केंद्रीय आयोजना सहायता के भाग के रूप में राज्यों को दी जाएंगी। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि 2013-14 में, मैं करों के हिस्से, गैर योजना अनुदानों और ऋणों और केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 5,87,082 करोड़ रुपए तक का संसाधन अंतरण की आशा करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>योजना आयोग,व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग] | कारगरता बढायी जा सके। सभी केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को इस अनुमोदन की सूचना दे दी गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 77. | 112 | मैं भारत की महिलाओं को यह कहना चाहता हूं। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हाल में हुई घटनाओं ने हमारे उदार और प्रगतिशील विश्वासों पर एक अमिट काली छाया छोडी है। जैसे ही अधिक महिलाएं शिक्षा या कार्य अथवा सेवाओं के अभिगम या फुर्सत के लिए सार्वजनिक स्थानों में जाती हैं, उनके विरुद्ध हिंसा की अधिक रिपोर्ट मिलती हैं। हम अपनी लड़कियों और महिलाओं के साथ दृढ़ता से खडे हैं। हम उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षित एवं सुनिश्चित रखने में हर संभव कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं। अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं तथा कितने और सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए जाएंगे। इन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अग्रिम के रूप में, मैं एक निधि - इसे हम निर्भय निधि कहेंगे, की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और सरकार 1,000 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों से इस निधि की संरचना, कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोग का ब्यौरा तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>गृह मंत्रालय,महिला और बाल विकास मंत्रालय] | महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें निरापद एवं सुरक्षित करने की स्कीमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के निवारण के प्रयोजन से 'शुभ' नामक योजना 486.05 करोड़ रुपए के परिव्यय से तैयार की गयी है और इसका वित्त-पोषण 'निर्भया' निधि से किया जाएगा तथा यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नियमित स्कीमों का भाग होगी। गृह मंत्रालय भी 321.66 करोड़ रुपए की राशि से एक स्कीम को अंतिम रूप दे रहा है। इसके लिए वित्तपोषण 'निर्भया' निधि से किया जाएगा।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 78. | 113 | भारत के युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में कौशल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने के लिए अवश्य प्रेरित किया जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से यह कहने का प्रस्ताव करता हूं कि भिन्न-भिन्न कौशलों में प्रशिक्षण के | एक लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य पूरा करने के लिए, 1020 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान से राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और आर्थिक पुरस्कार योजनाएं शुरू की गई हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | लिए पाठयचर्या और मानक नियत किए जाएं। कोई भी संस्था या निकाय प्रशिक्षण दे सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उम्मीदवार से अपेक्षा है कि उसे प्राधिकृत प्रमाणन निकायों द्वारा संचालित परीक्षा देनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उम्मीदावर को एक प्रमाणपत्र तथा प्रति उम्मीदवार औसतन 10,000 रुपए का मौद्रिक इनाम दिया जाएगा। कौशल नियोज्यता एवं उत्पादकता में बहुत बड़ा इजाफा करेंगे। यह धारणा कि 10,00,000 युवाओं को प्रेरित किया जा सकता है, के बारे में, मैं इस महत्त्वाकांक्षी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>आर्थिक कार्य विभाग] | |
| 79. | 114 | भारत के गरीब व्यक्ति के लिए मैं यह कहना चाहता हूं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना ने लोगों, विशेषकर, गरीब व्यक्ति की परिकल्पना को ग्रहण किया है। असली धन वही है जो जनता के काम आए, जब हम कहते हैं कि "आपका पैसा आपके हाथ" कोई इसका विरोध क्यों करें। हमने 01 जनवरी, 2013 को एक नम्र और सचेत शुरूआत की है। लगभग 11 लाख लाभार्थियों को यह लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुआ है। हमने अपने चारों ओर उन दलित बालिकाओं और जनजातीय बालकों के चेहरों पर मुस्कान देखी है जिन्हें छात्रवृत्तियां मिली हैं। हमें गर्भवती महिलाओं, जिन्हें यह आश्वस्त किया जाता है कि सरकार शिशु के जन्म के पहले और बाद में मां और बच्चे की देखभाल करती है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दुगना कर रहे हैं कि डिजिटाइज्ड लाभार्थी सूचियां उपलब्ध हों; कि प्रत्येक लाभार्थी के लिए बैंक खाता खोला जाए; तथा बैंक खाते को यथासमय आधार के साथ संयुक्त किया जाए। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं और इस सदन के माध्यम से भारत के लोगों, के लिए यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में लागू हो जाएगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>योजना आयोग,व्यय विभाग] | 27 चिह्नित स्कीमों के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम 121 अभिज्ञात जिलों में कार्यान्वित की गई है।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 80. | 120 | जब मैने अगस्त, 2012 में कार्यभार संभाला था, मैंने एक वक्तव्य दिया था कि ''कर नियमों में स्पष्टता, एक स्थायी कर व्यवस्था, एक अप्रतिकूल कर प्रशासन, | अधिसूचनाएं और परिपत्र जारी किए गए।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | विवाद समाधान के लिए एक उचित तंत्र, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका से अधिक संरक्षितता'' प्राप्त होगी। उस विवरण में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के संबंध में मेरे कर प्रस्तावों के मुख्य विषय की रूपरेखा दी गयी है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | |
| 81. | 121 | उभरती हुई अर्थव्यवस्था में ऐसी कर प्रणाली होनी चाहिए जिसमें विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं की झलक मिलती हो। कर नीतियों तथा कर कानूनों के अनुप्रयोग की समीक्षा व इस संबंध में आवधिक रिपोर्टें, जिन्हें हमारी कर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के क्रम में लागू किया जा सके, प्रस्तुत करने के लिए मैं कर प्रशासन सुधार आयोग के गठन का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | कर नीतियों और कर संबंधी कानूनों के लागू होने की समीक्षा के लिए, कर प्रशासन सुधार आयोग का गठन अधिसूचित किया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 82. | 125 | व्यक्तिगत आय कर दरों ने चार वित्त मंत्रियों और चार सरकारों को बनाए रखा है। मौजूदा स्लैब पिछले वर्ष ही शुरू किए गए थे। इसलिए मेरा विचार है कि इन स्लेबों या दरों को संशोधित करने की आवश्यकता नही हैं। इसके अलावा, प्रारंभिक छूट-स्तर में मामूली सी वृद्धि करने का अर्थ होगा, कई सौ हजार करदाता कर नेट से बाहर हो जाएंगे और कर आधार काफी घट जाएगा। ऐसा होते हुए भी, मैं 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के प्रथम स्लैब में करदाताओं को कुछ राहत देना चाहता हूँ। 10 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर और 2,00,000 रुपए से 2,20,000 रुपए करने की प्रारंभिक छूट में वैचारिक वृद्धि को मानते हुए, मैं 5 लाख रुपए तक की कुल आय वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपए की कर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। आशा है कि 1.8 करोड़ कर दाताओं को 3,600 करोड़ रुपए का लाभ होगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 83. | 126 | राजकोषीय समेकन को व्यय की कटौती करके ही प्रभावी नहीं किया जा सकता है। जहाँ कहीं संभव हो, राजस्व अवश्य बढाए जाने चाहिए। जब मुझे संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मैं समाज में | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति वाले लोगों के सिवाय किसकी ओर जा सकता हूँ। 42,800 व्यक्ति हैं- मैं फिर कहता हूँ, केवल 42,800 व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए से अधिक की कर-योग्य आय स्वीकार की है। मैं, प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए से अधिक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह व्यष्टियों, हिंदु अविभक्त कुटुंबों और समान कर स्थिति वाले फर्मों और संगठनों पर लागू होगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | |
| 84. | 127 | मैं, प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए से अधिक कर योग्य आय वाली घरेलू कंपनियों पर अधिभार 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। निगम कर की उच्चतर दर अदा करने वाली विदेशी कंपनियों की स्थिति में यह अधिभार 2 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाएगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 85. | 128 | लाभांश वितरण कर या संवितरित आय पर कर जैसे सभी अन्य मामलों में, मैं 5 प्रतिशत के मौजूदा अधिभार को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 86. | 132 | मैंने, अपने भाषण के भाग 'क' में, घर क्रेता, जो 25,00,000 रुपए तक का ऋण लेता है, के लिए कर लाभ देने का उल्लेख किया था। मैं ऐसे घर क्रेताओं को वर्ष 2014-15 में दावा किए जाने वाले 1,00,000 रुपए के ब्याज की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि यह सीमा समाप्त नहीं होती है, तो शेष राशि का दावा वर्ष 2015-16 में किया जा सकेगा। यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के अधीन एवं अधिभोग वाली संपत्तियों के लिए अनुमत 1,50,000 रुपए की कटौती के अलावा होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 87. | 133 | मैं, बीमाकृत कंपनी की अनुज्ञेय प्रीमियम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके निःशक्तता या कतिपय बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवनबीमा पालिसी की पात्रता शर्तों को शिथिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह छूट 1.04.2013 को या उसके पश्चात जारी पॉलिसियों के बारे में उपलब्ध होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 88. | 134 | केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में किए गए अंशदान आय कर अधिनियम की धारा 80घ के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं। मैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की इसी तरह की योजनाओं के लिए वही लाभ देने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 89. | 135 | राष्ट्रीय बाल निधि में किए गए दान अब 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार होंगे।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग,महिला और बाल विकास मंत्रालय] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 90. | 136 | कोई भी बड़ा देश, जोरदार विनिर्माण सेक्टर के बिना, वास्तव में विकसित देश नहीं बन सकता है। इस प्रकार, मेरे भाषण के भाग 'क' में बताया गया है, मैं ऐसी विनिर्माण कंपनी, जो 01.04.2013 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान प्लांट और मशीनरी के रूप में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी, को 15 प्रतिशत की दर पर निवेश भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 91. | 137 | मैं, आयकर अधिनियम की धारा 80-झक के अधीन 31.03.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत सेक्टर की परियोजनाओं के लिए ''पात्र तारीख'' प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 92. | 138 | विदेश स्थित भारतीय कंपनियों से प्राप्त निधियों को स्वदेश भेजना प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, भारतीय कंपनी द्वारा उसकी विदेश स्थित सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश पर 15 प्रतिशत की कर-रियायत दर को और एक वर्ष जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, भारतीय कंपनी अपनी विदेश स्थित कंपनी से प्राप्त आय के इस अंश का अपने शेयरधारकों को वितरण करने पर लाभांश वितरण कर संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 93. | 139 | विदेशी मुद्रा में दीर्घकालिक अवसंरचना बांडों में निवेश जुटाने की दृष्टि से, अनिवासी निवेशकों को संदत्त ब्याज पर कर की दर पिछले वर्ष की 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी थी। मैं, रुपया अंकित दीर्घकालिक अवसंरचना बांडों में निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किए गए निवेश के लिए उसे देने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग,आर्थिक कार्य विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 94. | 140 | वित्तीय संस्थाओं को एक विशिष्ट प्रयोजन साधन के माध्यम से अपनी आस्तियों को प्रतिभूतिकृत करने में आसानी के लिए, मैं, प्रतिभूतिकरण न्यास को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। कर कंपनियों की स्थिति में 30 प्रतिशत की दर पर तथा व्यष्टियों या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में 25 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा आय के वितरण के समय ही लगाया जाएगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 95. | 141 | लाभदायक स्वामियों के हित की सुरक्षा के लिए निक्षेपागार द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण निधि को आयकर से छूट प्राप्त होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग,आर्थिक कार्य विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 96. | 142 | मैं, उस आईडीएफ-म्यूचुअल फंड जो आय वितरित करती है और आईडीएफ-एनबीएफसी जो ब्याज अदा करती है, यदि भुगतान किसी अनिवासी को किया | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | जाए, के बीच समानता प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार वितरित आय अथवा ब्याज पर कर की दर 5 प्रतिशत होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग,आर्थिक कार्य विभाग] | |
| 97. | 143 | आयकर अधिनियम के अंतर्गत, वेंचर पूंजी निधियों की अनुमति पास थ्रू स्टेटस के माध्यम से दी गयी है। सेबी के संगत विनियमों का स्थान विकल्पी निवेश निधि विनियमों ने ले लिया है। इसलिए, मैं, वेंचर पूंजी निधियों के रूप में सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी-। विकल्पी निवेश निधियों को, कतिपय शर्तों का पालन करने पर, पास थ्रू स्टेटस प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। आदर्श निवेशकों, जो श्रेणी-। विकल्पी निवेश निधि वेंचर पूंजी के रूप में जाने जाते हैं, को भी पास थ्रू स्टेटस मिलेगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग,आर्थिक कार्य विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 98. | 144 | मैं, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके ब्यौरे का उल्लेख मैंने अपने भाषण के भाग 'क' में किया था।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग,आर्थिक कार्य विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 99. | 145 | अचल संपत्तियों में किए जाने वाले संव्यवहारों का सामान्यतया कम मूल्याकंन और कम रिपोर्टिंग की जाती है। आधे संव्यवहारों में संबंधित पक्षकारों की पेन संख्या नहीं दी जाती है। ऐसे संव्यवहारों की रिपोर्टिंग और पूंजी अभिलाभों को सुधारने की दृष्टि से, अचल संपत्ति, जहां प्रतिफल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक हैं, के अंतरण के मूल्य पर एक प्रतिशत की दर पर टीडीएस लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, कृषि भूमि को इससे छूट मिलेगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 100. | 146 | कुछ कर परिहार्य वंचन ध्यान में आए हैं, मैं इन अपवंचनों को बंद करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुछ असूचीबद्ध कंपनियों ने शेयरों की वापसी खरीद करके अपवंचनों से लाभांश वितरण कर बचाया है जिससे | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | कि कर का संदाय किए बिना, कंपनी की वितरण योग्य आय अंतरित हो गयी है। मैं, असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा, शेयरों की वापसी खरीद करके, शेयरधारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर पर अंतिम विदहोल्डिंग कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | |
| 101. | 147 | दूसरा मामला, किसी सहायक कंपनी द्वारा विदेश स्थित मूल कंपनी को रायल्टी के रूप में लाभों के वितरण का है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम में रायल्टी पर कर की दर, अनेक दोहरे कर परिहार्य करारों में उपबंधित दरों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है। यह लाभांश वितरण कर की दर से भी कम है। यह एक ऐसी विसंगति है जिसे अवश्य दूर किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं अनिवासियों को तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी और फीस के रूप में संदायों पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, लागू दर, दोहरे कर परिहार्य करार में नियत कर की दर होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 102. | 148 | प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) का संव्यवहारों पर एक स्थिर प्रभाव होता है बेशक इससे संव्यवहार लागत बढ़ जाती है। बाजार में हुए बदलावों और युक्तियों को ध्यान में रखते हुए मैं कर की दरों में निम्नलिखित कटौतियां करने का प्रस्ताव करता हूँः इक्विटी वायदा बाजारः 0.017 से 0.01 प्रतिशत निधि केन्द्रों पर एमएफ/ईटीएफ मोचनः 0.25 से 0.001 प्रतिशत एक्सचेंजों में एमएफ/ईटीएफ खरीद/फरोख्तः 0.1 से 0.001 प्रतिशत, केवल विक्रेता पर<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 103. | 149 | प्रतिभूति बाजार में व्युत्पन्न कारोबार और पण्य बाजार में व्युत्पन्न कारोबार के बीच कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंडरलाइंग परिसंपत्ति अलग है। यह पण्य संव्यवहार कर (सीटीटी) को सीमित रूप में लागू करने का समय है। इसलिए, मैं इक्विटी वायदा बाजार में यथा लागू दर की तरह समान दर पर, जो | आयकर अधिनियम, 1961 में सांविधिक संशोधन, वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा कर दिए गए हैं जिसमें पण्य संव्यवहार कर (सीटीटी) लगाने का भी उपबंध है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | इस समय व्यापार मूल्य का 0.01 प्रतिशत है, कृषि-भिन्न वस्तु वायदा बाजार संविदाओं पर सीटीटी लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। वस्तु व्युत्पन्नों में किए जाने वाले कारोबार को ''सट्टा संव्यवहार'' नहीं समझा जाएगा और यदि ऐसे संव्यवहार से आय कारबार आय का हिस्सा होती है, तो कटौती के रूप में सीटीटी की अनुमति दी जाएगी। जैसाकि मैंने कहा है, कृषि वस्तुओं को छूट प्राप्त होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग] | |
| 104. | 150 | माननीय सदस्यों को पता है कि वित्त अधिनियम, 2012 में सामान्य परिहार्य-निषेध नियम, संक्षेप में, जीएएआर शुरू किया गया था। इन नए उपबंधों के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने और जीएएआर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी थी। इस समिति की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार ने 14.1.2013 को कतिपय निर्णयों की घोषणा की जिनका व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। मैं, इन निर्णयों को आयकर अधिनियम में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूँ। अनुचित कर परिहार्य अपवंचन, एक निर्धारण (कर) अधिकारी और एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अनुमोदित करने वाले पैनल को सम्मिलित करके एक सुनिर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अवधारण करने के बाद, कराधीन होंगे। मैं, संशोधित उपबंधों को 1.4.2016 से लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 105. | 151 | विकास केन्द्रों तथा आईटी क्षेत्र से कर संबंधित मामलों तथा बहुत से क्षेत्रों के लिए सेफ हार्बर नियमों की जांच करने के लिए रंगाचारी समिति नियुक्त की गई थी। हमने आईटी क्षेत्र के निर्यातों को कवर करने वाला एक परिपत्र जारी किया है तथा विकास केन्द्रों को कवर करने वाला एक परिपत्र शीघ्र जारी किया जाएगा। सेफ हार्बर नियमों को, समिति की रिपोर्टों की जांच के बाद, जारी किया जाएगा। इसकी अंतिम रिपोर्ट 31.3.2013 तक आनी अपेक्षित है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | सेफ हार्बर नियमों को तारीख 18.09.2003 की अधिसूचना संख्या 73/20139 (सा.आ. 2810 (स्था) द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 106. | 152 | पांचवीं बड़ी कर दाता यूनिट कोलकाता में शीघ्र खोली जाएगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | पांचवीं बड़ी कर दाता यूनिट ने कोलकाता में 28.10.2013 से काम करना शुरू कर दिया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 107. | 153 | मैंने विगत कुछ महीनों में अनेक प्रशासनिक उपाय भी किए हैं। मै, वार्षिक सूचना विवरणियों का क्षेत्र बढ़ाने, अधिक बैंकों के माध्यम से ई-संदाय सुविधा प्रदान करने, 50,000 रुपए से अधिक के लिए रिफंड बैंकर प्रणाली का विस्तार करने, एवं निर्धारितियों की और श्रेणियों के लिए ई-फाइलिंग आवश्यकता करने का प्रस्ताव करता हूँ। आयकर विभाग प्रौद्योगिकी-आधारित प्रोसेसिंग की ओर तीव्रता से बढ रहा है जैसाकि बेंगलूरू में स्थापित किए गए सेंट्रल प्रोसेसिंग सैल तथा कुछ दिन पहले वैशाली, गाजियाबाद में शुरू किए गए सेंट्रल प्रोसेसिंग सैल-टीडीएस से स्पष्ट होता है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | धन कर विवरणी की ई-फाइलिंग के लिए संगत उपबंध सम्मिलित करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा धन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है।<br>तारीख 01.05.2013 की अधिसूचना संख्या 34 द्वारा, पाँच लाख रुपए से अधिक की आय वाले आयकर निर्धारितियों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 108. | 154 | प्रत्यक्ष कर संहिता के बारे में **कार्य प्रगति पर** है। इस प्रत्यक्ष कर संहिता का आशय आय कर अधिनियम, 1961 का संशोधित रूप तैयार करना ही नहीं है, बल्कि एक नई संहिता तैयार करना है, जो सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों पर आधारित होगी और वह तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और हम उसकी सिफारिशों को अत्यधिक महत्व देते हैं। वित्त मंत्रालय में मेरी टीम इन सिफारिशों की जांच कर रही है और मैं, आधिकारिक संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए स्थायी समिति और उसके अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मैं, इस बजट सत्र की समाप्ति से पूर्व, इस विधेयक को इस सदन के समक्ष पुनः लाने का प्रयास करूंगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | प्रत्यक्ष कर संहिता के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा की गई। प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2013 का प्रारूप अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात, यह विधेयक संसद में रखा जाएगा।<br>***कार्य प्रगति पर*** |
| 109. | 158 | पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं इलैक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के निर्दिष्ट पुर्जों के लिए अभी उपलब्ध रियायत की अवधि को 31.3.2015 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।<br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क के परंतुक के खण्ड (छ) और खण्ड (ज) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। रियायत की अवधि 31.03.2015 तक बढा दी गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 110. | 159 | चर्म और चर्म से बनी वस्तु विनिर्माण सेक्टर निर्यातों के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। मैं, फुटवियर सहित चर्म और चर्म से बनने वाली वस्तुओं के विनिर्माण की विनिर्दिष्ट मशीनरी पर ड्यूटी को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क के क्रम सं. 390 (सूची 29) में संशोधन करके, फुटवियर सहित चर्म और चर्म से बनी वस्तुओं के विनिर्माण की निर्दिष्ट मशीनरी पर लगने वाला शुल्क, तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना संख्या 12/2013-सीमा-शुल्क द्वारा 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।.<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 111. | 160 | निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, बहुमूल्य और कम मूल्य वाले रत्नों के निर्माण-पूर्व रूपों पर शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क के क्रम संख्या 312क में संशोधन करके, बहुमूल्य और कम मूल्य वाले रत्नों के निर्माण-पूर्व रूपों पर लगने वाला शुल्क, तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना सं.12/2013-सीमा-शुल्क द्वारा 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 112. | 161 | तेल-रहित चावल भूसी खली पर लगे निर्यात शुल्क ने हमारे निर्यातों को अप्रतिस्पर्धी बना दिया है। इसलिए मैं उक्त शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तेल रहित चावल भूसी खली पर लगने वाला निर्यात शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा-शुल्क की क्रम सं. 12 में संशोधन करके, तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना सं. 15/2013-सीमा-शुल्क द्वारा वापस ले लिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 113. | 162 | अप्रसंस्कृत इल्मेनाइट की कीमतें निर्यात बाजार में कई गुणा बढ़ गयी हैं। अपने नैसर्गिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, मैं, अप्रसंस्कृत इल्मेनाइट के निर्यात पर 10 प्रतिशत और उन्नत इल्मेनाइट के निर्यात पर 5 प्रतिशत का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा-शुल्क द्वारा इस अधिसूचना में तारीख, 01 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 15/2013-सीमा-शुल्क द्वारा क्रम सं. 24ग और 24घ जोड़कर, अप्रसंस्कृत इल्मेनाइट के निर्यात पर 10 प्रतिशत और उन्नत इल्मेनाइट के निर्यात पर 5 प्रतिशत का शुल्क लगा दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 114. | 163 | हवाई जहाज विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोधार (एमआरओ) उद्योग प्रारंभिक अवस्था में हैं। इस एमआरओ सेक्टर को प्रोत्साहित करने से अन्य लाभों के अलावा रोजगार सृजन भी होगा। अतः मैं, एमआरओ उद्योग को कतिपय रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसका विवरण बजट दस्तावेजों में दिया गया है।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | हवाई जहाज विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार (एमआरओ) उद्योग को कतिपय रियायत प्रदान करने के लिए, तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क (शर्त 73) की क्रम सं. 448 को तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीमा-शुल्क द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 115. | 164 | सेट टॉप बॉक्स के घरेलू उत्पादन और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं इस पर लगने वाले शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क की क्रम सं. 411 को संशोधित करके, सेट टॉप बॉक्स पर लगने वाला शुल्क, तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीमा-शुल्क द्वारा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 116. | 165 | घरेलू रेशम उद्योग को संरक्षण उपाय देने के लिए, मैं कच्चे रेशम पर लगने वाले शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क की क्रम सं. 276 को संशोधित करके, कच्चे रेशम पर लगने वाला शुल्क, तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीमा-शुल्क द्वारा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 117. | 166 | भाप कोयला सीमा शुल्क से मुक्त है परन्तु उस पर एक प्रतिशत का सीवीडी लगता है। बिटुमनी कोयले पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क और 6 प्रतिशत का सीवीडी लगता है। चूंकि दोनों प्रकार का कोयला तापीय विद्युत केंद्रों में इस्तेमाल किया जाता है, अनियंत्रित गलत वर्गीकरण किया जाता है। मैं, दोनों प्रकार के कोयलों पर शुल्क को समान करने तथा 2 प्रतिशत का सीमा शुल्क और 2 प्रतिशत का सीवीडी उद्ग्रहीत करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना की क्रम संख्या 122क क्रम संख्या 123 और क्रम संख्या 124, जैसाकि तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गयी हैं, में इन संशोधनों को सम्मिलित कर लिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 118. | 167 | भारत में एक धनाढ्य वर्ग है जो अत्यधिक कीमत वाले वाहनों, मोटरसाइकिलों, नावों और इसी प्रकार के वाहनों जैसी आयातित विलासिता वाली वस्तुओं का उपभोग करता है। मुझे विश्वास है कि उन्हें थोड़ा सा अधिक देने पर कोई एतराज नहीं होगा। अतः मैं ऐसे मोटर वाहनों पर सीमाशुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने; 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने; और नावों एवं इसी प्रकार के जलयानों पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17.3.2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क की क्रम संख्या 437 और क्रम संख्या 443, जैसाकि तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना संख्या 12/2013-सीमा-शुल्क द्वारा संशोधित की गयी है, में और वित्त विधेयक, 2013 के खंड 76 में इन संशोधनों को सम्मिलित कर लिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 119. | 168 | पात्र यात्रियों को आभूषण लाने की अनुमति देने वाले सामान नियम पिछली बार 1991 में संशोधित किए गए थे। तब से स्वर्ण कीमतें बढ़ गयी हैं और यात्रियों ने उत्पीड़न की शिकायतें की हैं। मैं, इस | तारीख 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या 25/2013 सीमा-शुल्क (एनटी) में ये परिवर्तन शामिल किए गए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | शुल्क-मुक्त सीमा को, सामान्य शर्तों का पालन करने पर, बढ़ाकर पुरुष यात्री की दशा में 50,000 रुपए करने और महिला यात्री के मामले में 1,00,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | |
| 120. | 170 | रेडिमेड वस्त्र उद्योग संकट में फंसा हुआ है। इस उद्योग को लाइफलाइन की आवश्यकता है। धागे, फेब्रिक गारमेंट अवस्थाओं पर कॉटन और मानव निर्मित सेक्टर (काता हुआ धागा) के लिए 'शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग' को बहाल करने की मांग है। मैं यह मांग स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। कॉटन की दशा में, फाइबर अवस्था पर भी शून्य शुल्क होगा और काते हुए धागे के मामले में, फाइबर अवस्था पर 12 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क होगा। 'शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग' अभी उपलब्ध सेनवेट मार्ग के अलावा होगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | इन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना संख्या 8/2013-सीई द्वारा यथा-संशोधित, तारीख 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004-सीई की क्रम संख्या 16 और तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना संख्या 7/2012-सीई की क्रम संख्या 7 को संशोधित किया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 121. | 171 | मैं, हस्तनिर्मित कालीनों और नारियल की जटा या पटसन से बनी टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंगों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17.3.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की क्रम संख्या 173क जोड़कर, तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना संख्या 12/2013-सीई द्वारा हस्तनिर्मित कालीनों और नारियल की जटा या पटसन से बनी कवरिंगों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 122. | 172 | पोत निर्माण उद्योग को राहत देने के उपाय के रूप में, मैं पोतों और जलयानों को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। परिणामस्वरूप, आयातित पोतों और जलयानों पर कोई सीवीडी नहीं होगा।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | पोतों और जलयानों को उत्पाद-शुल्क से छूट देने के लिए, अधिसूचना सं. 12/2012-सीई को तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीई द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 123. | 173 | वित्त मंत्री को जब संसाधनों की आवश्यकता हो तो वह किसकी तरफ देखेगा? उत्तर है - सिगरेट। मैं, सिगरेटों पर लगभग 18 प्रतिशत तक विशिष्ट उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। सिगारों, चुरुट एवं सिगार उत्पादों पर वैसी ही शुल्क वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | छठी अनुसूची के साथ पठित वित्त विधेयक, 2013 का खण्ड 92 में ये परिवर्तन सम्मिलित हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 124. | 174 | एसयू वाहन अधिक सड़क पार्किंग घेरते हैं तथा उन पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। इसलिए मैं, एसयू वाहनों पर उत्पाद-शुल्क को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, टेक्सियों के रूप में पंजीकृत एसयू वाहनों पर यह शुल्क वृद्धि लागू नहीं होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | छठी अनुसूची के साथ पठित वित्त विधेयक, 2013 के खण्ड 92 में यह निर्णय सम्मिलित है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 125. | 175 | मार्बल पर उत्पाद शुल्क की दर 1996 में नियत की गयी थी। मार्बल की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए, मैं उत्पाद शुल्क को 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की क्रम सं. 54, जो तारीख 01.03.2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीई द्वारा संशोधित की गई है, में यह निर्णय सम्मिलित है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 126. | 176 | मैं, इस दर को, तांबा अयस्क और सांद्रों से प्राप्त चांदी पर लागू उत्पाद शुल्क के अनुरूप करने के लिए, समेल्टिंग जस्ता या सीसा से विनिर्मित चांदी पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीई की क्रम सं. 191क, जो तारीख 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 2013-सीई द्वारा अंतःस्थापित की गई है, में यह निर्णय सम्मिलित है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 127. | 177 | लगभग 70 प्रतिशत आयातित मोबाइल फोनों और स्वदेश में विनिर्मित लगभग 60 प्रतिशत मोबाइल फोनों की कीमत 2000 रुपए या कम होती है। मोबाइल फोनों पर एक प्रतिशत का रियायती उत्पाद शुल्क लगता है और मैं कम कीमत वाले मोबाइल फोनों की स्थिति में उसे बदलना नहीं चाहता हूँ। तथापि, मैं, 2000 रुपए से अधिक की कीमत वाले मोबाइल फोनों पर, इस शुल्क को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीई (क्र.सं. 263क) में यह विवरण दे दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 128. | 178 | मूल्यांकन संबंधी विवादों को कम करने के लिए, मैं आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और औषधियों की बायोकेमिक प्रणालियों के विषय में एमआरपी आधारित निर्धारण की व्यवस्था करने | पांचवीं अनुसूची के साथ पठित वित्त विधेयक, 2013 के खण्ड 91 और तारीख 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 1/2013-सीई (एनटी) में ये संशोधन सम्मिलित हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | का प्रस्ताव करता हूँ। इन पर 35 प्रतिशत की छूट मिलेगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | |
| 129. | 179 | सेवा कर के संबंध में, मेरे कुछेक ही प्रस्ताव हैं। नकारात्मक सूची पिछले बजट से लागू हो गयी है। कर व्यवस्था में स्थायित्व महत्वपूर्ण होता है। मैं केवल दो सेवाओं, जो योग्य दिखायी देती हैं, को नकारात्मक सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। वे राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कृषि एवं कृषि उत्पाद के संबंध में परीक्षण क्रियाकलाप हैं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | यह घोषणा वित्त अधिनियम, 2013 का भाग है, जो 10 मई, 2013 को वित्त विधेयक, 2013 के अधिनियमित होने से लागू हो गई है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 130. | 180 | पिछले वर्ष, फिल्म उद्योग के अनुरोध पर, सिने-चल-चित्रिकी के कापीराइट पर सेवा कर की पूर्ण छूट प्रदान की गयी थी। फिल्म उद्योग ने अब यह अनुरोध किया है कि इस छूट का फायदा सिनेमा हाल में प्रदर्शित फिल्मों तक सीमित कर दिया जाए। मैं इस अनुरोध को मानने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 3/2013-एसटी में यह घोषणा सम्मिलित है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 131. | 181 | इस समय, शराब न परोसने वाले वातानुकूलित रेस्तराओं पर सेवा कर लागू नहीं है। यह अंतर बनावटी है तथा मैं, सभी वातानुकूलित रेस्तराओं पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 3/2013-एसटी में यह घोषणा सम्मिलित है।.<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 132. | 182 | 2000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक कारपेट क्षेत्र वाले या 1 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक लागत वाले घर और फ्लैट उच्चस्तरीय विनिर्माण हैं जिनमें सेवा का घटक अधिक है। इसलिए, मैं इस श्रेणी की इमारतों के लिए कटौती की दर को कम करते हुए 75 प्रतिशत से 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। कम लागत वाले आवास और एकल रिहाइशी यूनिटों के लिए सेवाकर से मौजूदा छूट जारी रहेगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | तारीख 1 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 3/2013-एसटी पहले ही जारी कर दी गई है। यह घोषणा 1 मार्च, 2013 से प्रवृत्त हुई।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| 133. | 183 | यद्यपि सेवा कर के अंतर्गत लगभग 17,00,000 पंजीकृत निर्धारिती हैं, परन्तु लगभग 7,00,000 ही विवरणी फाइल करते हैं। कइयों ने विवरणियां फाइल करना ही बंद कर दिया है। हम उनमें से हरेक के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। मुझे विवरणियां फाइल करने और कर देयों का भुगतान करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। अतः मैं 'स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना' नामक एकबारगी योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ। कोई चूककर्ता इस शर्त पर इस योजना का फायदा उठा सकेगा कि वह 1.10.2007 से सेवा कर देयों की ईमानदारी से घोषणा फाइल करे तथा नियत तारीखों से पूर्व एक या दो किस्तों में भुगतान करे। ऐसे मामले में, ब्याज, शास्ति और अन्य परिणामी राशियां माफ कर दी जाएंगी। मुझे आशा है कि कई गुणा कर लौटाने के लिए बड़ी संख्या में निर्धारितियों को प्रेरित किया जा सकेगा। मुझे यह भी आशा है कि इससे काफी धनराशि एकत्रित होगी।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | यह घोषणा वित्त विधेयक, 2013 (अध्याय 6) का भाग है। यह वित्त विधेयक 2013 के 10 मई, 2013 को अधिनियमित होने पर लागू हुई है। यह स्कीम कार्यान्वित करने के लिए, सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन नियम, 2013 जारी किए गए हैं।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |
| 134. | 186 | **वस्तु एवं सेवा कर**<br>माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पहली बार 2007-08 के बजट भाषण में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का उल्लेख किया था। उस समय यह सोचा गया था कि जीएसटी 01.04.2010 से लागू किया जा सकता है। परन्तु, ऐसा नहीं हुआ, यद्यपि सभी राज्यों को इसका फायदा होता है। तथापि, राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के साथ मेरी हाल की बैठकों ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकारें - अथवा कम से कम अधिकांश राज्य सरकारें इस बात से सहमत हैं कि संवैधानिक संशोधन की जरूरत है; राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए यह जरूरी है कि वे जीएसटी कानून पास करें। इसका मसौदा राज्यों के वित्त मंत्रियों और जीएसटी परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा, तथा केंद्र के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बिक्री कर में कटौती के कारण राज्यों को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति की जाए। मुझे आशा है कि आगामी कुछेक महीनों में इस विषय पर सहमति हो सकेगी तथा वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में संवैधानिक संशोधन के बारे में विधेयक का प्रारूप और वस्तु एवं सेवा कर के बारे में | सशक्त समिति को लगभग 9000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के बारे में अवगत करा दिया गया है।<br>***कार्रवाई पूर्ण*** |

| क्रम सं. | पैरा सं. | बजट घोषणा | कार्यान्वयन की प्रास्थिति |
|---|---|---|---|
| | | विधेयक का प्रारूप इस सदन के समक्ष लाया जाएगा। आशा से बल मिलता है। मैं, केंद्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति की शेष राशि की प्रथम किस्त के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि अलग रखकर प्रथम निर्णायक कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राज्यों के वित्त मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए सरकार के गंभीर आशय को महसूस करें तथा सरकार के साथ काम करने हेतु आगे आयें तथा देश की कर व्यवस्था में विकासात्मक परिवर्तन लाएं।<br><br>[नोडल मंत्रालय/विभागः<br>राजस्व विभाग] | |